



राजस्थान लोक सेवा आयोग



वार्षिक प्रतिवेदन

2011-2012





राजस्थान लोक सेवा आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन

2011-2012

62वाँ

वार्षिक प्रतिवेदन

राजस्थान लोक सेवा आयोग

अप्रैल 1, 2011 से मार्च 31, 2012

राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना बासठवाँ
वार्षिक प्रतिवेदन जैसा कि भारतीय संविधान
के अनुच्छेद 323(2) द्वारा अपेक्षित है,
महामहिम राज्यपाल को प्रस्तुत करता है।
यह प्रतिवेदन अप्रैल 1, 2011 से
मार्च 31, 2012 तक की
अवधि से सम्बन्धित है।

विषय-सूची

क्र.सं.		पृष्ठ संख्या
1.	आयोग	8
2.	आयोग-सचिवालय	9
3.	भवन	10
4.	आय-व्यय	10
5.	आयोग की बैठकें	11
6.	भर्ती-	11
	(क) साक्षात्कार सहित/रहित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा (ख) केवल साक्षात्कार पद्धति द्वारा	15
7.	भर्ती-प्रक्रिया में सुधार	18
8.	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, विशेष योग्यजन एवं महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण	19
9.	विभागीय पदोन्नति समितियाँ एवं अन्य समितियाँ	19
10.	अस्थायी नियुक्तियों की अवधि-वृद्धि	20
11.	अनियमित नियुक्तियाँ	20
12.	अनुशासनात्मक प्रकरण एवं अपीलें	23
13.	सेवा नियम	23
14.	आयोग के परामर्श की अस्वीकृति	24
15.	विविध (क) भ्रमण - माननीय अध्यक्ष/सदस्यगण (ख) पुस्तकालय (ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन प्रतिवेदन (घ) लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों की 14वीं राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन (ङ) अतिथि गृह (च) कम्प्यूटर लेब (छ) ISO 9001:2008 प्रमाण पत्र	24
16.	अभिस्वीकृति	29
17.	अध्याय - राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2010 में अभ्यर्थियों के निष्पादन की समीक्षा	30
परिशिष्ट		
1.	आयोग के कृत्य	39
2.	आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्य-गण का संक्षिप्त परिचयात्मक विवरण	40
3.	(क) आयोग के निवर्तमान माननीय अध्यक्ष-गण की सूची (ख) आयोग के निवर्तमान माननीय सदस्य-गण की सूची	53
4.	(क) आयोग-सचिवालय के अधिकारी/कर्मचारी (ख) वर्ष 2007-2008 से 2011-2012 तक सम्पादित कार्य का तुलनात्मक विवरण	57
5.	वर्ष 2010-2011 तथा 2011-2012 के अन्तर्गत हुई आय एवं व्यय का तुलनात्मक विवरण	58
6.	वर्ष 2011-2012 के दौरान आयोजित परीक्षाओं के अन्तर्गत सम्मिलित पदों/सेवाओं का विवरण	58
7.	(क) अभियांत्रिकी, चिकित्सा, तकनीकी एवं गैर तकनीकी पद जिनकी अर्थनाएँ वर्ष 2011-12 के दौरान प्राप्त हुई, का विवरण (ख) अभियांत्रिकी, चिकित्सा, तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदों का विवरण जिनके लिए वर्ष 2011-12 के दौरान विज्ञापन जारी किये गए (ग) वर्ष 2011-12 के दौरान साक्षात्कार द्वारा चयन (घ) पद विज्ञापित किये गये, किन्तु चयन अपूर्ण रहा (ङ) अभ्यर्थियों की न्यूनतम सूची हेतु आयोजित संवीक्षा परीक्षाएँ (च) पदों का विवरण जिनकी अर्थना विज्ञापन उपरान्त निरस्त की गई (छ) उन पदों का विवरण जिनके लिए साक्षात्कार आयोजित किए गए परन्तु उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिले	59

	(ज) पद जिनके लिए आरक्षित सूची में से नाम अभिस्तावित किये गए (झ) पद विज्ञापित किये गए परन्तु किसी भी अभ्यर्थी ने आवेदन नहीं किया, का विवरण	
8.	(क) विशेष योग्य जन हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध अभिस्तावित अभ्यर्थियों का विभागानुसार विवरण (ख) आरक्षित पदों का विवरण जिनके लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, के किसी भी अभ्यर्थी ने आवेदन नहीं किया	72
9.	चिरकालिक प्रकरण – विभागों द्वारा तदर्थ/अस्थायी नियुक्तियों के प्रकरणों के नियमन में विलम्ब	73
10.	शासन द्वारा पदोन्नति यथांश (कोटा) पदों के विरुद्ध की गई एवं आयोग द्वारा अनुमोदित अस्थायी नियुक्तियों के प्रकरण	73
11.	शासन द्वारा सीधी भर्ती एवं पदोन्नति यथांश (कोटा) पदों के विरुद्ध की गई अस्थाई नियुक्तियों के प्रकरण जो सूचना के अभाव में लम्बित रहे	74
12.	शासन द्वारा सीधी भर्ती एवं पदोन्नति यथांश (कोटा) पदों के विरुद्ध की गई अस्थाई नियुक्तियों के प्रकरण जो सूचना के अभाव में लम्बित रहे	75
13.	अस्थाई नियुक्तियों की प्रारम्भिक अवधि की समाप्ति के पश्चात् आयोग को विलम्ब से भेजे गए प्रकरण	76
14.	आयोग द्वारा निस्तारित विभिन्न सेवा नियमों/अनुसूचियों से सम्बन्धित प्रारूप संशोधन	76
15.	नवीन सेवा नियमों अथवा शासन द्वारा प्रख्यापित विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन	79
16.	सशस्त्र सैन्य बल/अर्द्ध सैन्य बल सेवा के मृत/स्थायी रूप से अक्षम कर्मचारियों के आश्रितों को विभिन्न पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने संबंधी नियम के अन्तर्गत आयोग को संदर्भित प्रकरणों की सूची	80
17.	डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र/परीक्षा को मान्यता देने सम्बन्धी आयोग को भेजे गये प्रकरण	81
18.	वर्ष 2011-2012 के दौरान आयोजित परीक्षाएँ/साक्षात्कार/चयन संबंधी सूचना	82

.....

आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण



प्रो. बी.एम. शर्मा



श्री एम.एल. कुमावत



श्री एच.एल. मीना



श्री शिवपालसिंह नांगल



श्री के.एल. बेरवाल



डॉ. पी. के. दशोरा



श्री ब्रह्मसिंह गुर्जर



डॉ. एच.के. गौराण



श्रीमती दिव्यासिंह

1. आयोग

1.1. आयोग की संरचना वर्ष के दौरान निम्न प्रकार थी:-

- | | |
|--|---|
| 1. प्रो. बी.एम. शर्मा | अध्यक्ष
(दिनांक 01.07.2011 को मध्यान्ह पश्चात् कार्यभार ग्रहण किया) |
| 2. श्री महेन्द्र लाल कुमावत, भा.पु.से. (सेवानिवृत्त) | अध्यक्ष
(दिनांक 01.07.2011 को मध्यान्ह पश्चात् अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर सेवा निवृत्त) |
| 3. श्री एच. एल. मीना | सदस्य
(दिनांक 31.01.2012 को मध्यान्ह पश्चात् अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर सेवा निवृत्त) |
| 4. श्री शिवपाल सिंह नांगल | सदस्य |
| 5. श्री कन्हैयालाल बेरवाल, आई.पी.एस. (सेवानिवृत्त) | सदस्य |
| 6. डॉ. पी. के. दशोरा | सदस्य |
| 7. श्री ब्रह्मसिंह गुर्जर | सदस्य |
| 8. डॉ. हबीब खान गौराण | सदस्य |
| 9. श्रीमती दिव्या सिंह | सदस्य |
- 1.2 प्रोफेसर बी.एम. शर्मा ने दिनांक 01.07.2011 को मध्यान्ह पश्चात् आयोग के माननीय अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया ।
- 1.3 श्री महेन्द्र लाल कुमावत, आई.पी.एस. (सेवानिवृत्त) माननीय अध्यक्ष अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर दिनांक 01.07.2011 को मध्यान्ह पश्चात् सेवानिवृत्त हुए ।
- 1.4 श्री एच.एल. मीना, माननीय सदस्य अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर दिनांक 31.01.2012 को मध्यान्ह पश्चात् सेवानिवृत्त हुए ।
- 1.5 डॉ. हबीब खान गौराण, आई.पी.एस. (सेवानिवृत्त) ने दिनांक 19.11.2011 को मध्यान्ह पूर्व आयोग के माननीय सदस्य का कार्यभार ग्रहण किया ।
- 1.6 श्रीमती दिव्या सिंह ने दिनांक 30.11.2011 को मध्यान्ह पूर्व आयोग के माननीय सदस्य का कार्यभार ग्रहण किया ।
- 1.7 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के अन्त तक आयोग में माननीय सदस्य का एक पद रिक्त रहा ।

- 1.8 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 में विनिर्दिष्ट आयोग के कृत्य परिशिष्ट-1 में दिये गये हैं।
- 1.9 आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्य-गण का संक्षिप्त परिचयात्मक विवरण परिशिष्ट-2 में दिया गया है।
- 1.10 आयोग के निवर्तमान माननीय अध्यक्ष-गण एवं माननीय सदस्य-गण की सूची (पदावधि सहित) परिशिष्ट-3 (क) एवं (ख) में दी गई है।
- 1.11 शासन के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.8(4)डीओपी/क-2/2011 दिनांक 27.06.2011 द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 1974 के विनियम 3 के उपविनियम (1) में विद्यमान शब्द 'पांच' के स्थान पर शब्द 'सात' प्रतिस्थापित किया गया अर्थात् सदस्यों की अधिकतम संख्या पांच के स्थान पर सात कर दी गई।

2. आयोग-सचिवालय

- 2.1 डॉ. के.के. पाठक, आई.ए.एस. प्रतिवेदनाधीन वर्ष के प्रारम्भ से अंत तक आयोग के सचिव पद पर आसीन रहे।
- 2.2 आयोग की विगत वर्ष की स्टॉफ संख्या के अतिरिक्त, शासन ने पत्र क्रमांक प. 8 (5)कार्मिक/क-2/2004, दिनांक 02.05.2011 एवं पत्र क्रमांक प. 8(8)कार्मिक/क-2/2009, दिनांक 26.05.2011 के द्वारा निम्नलिखित पदों के नवसृजन की स्वीकृति प्रदान की :-

क्रम संख्या	पदनाम	पे-बैण्ड	ग्रेड-पे	पदों की संख्या
1	वरिष्ठ लेखाधिकारी	15600-39100	6600	1
2	सहायक अनुभाग अधिकारी	9300-34800	3600	10
3	कनिष्ठ लिपिक	5200-20200	1900	10

- 2.3 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान निम्न पदों के नव - सृजन/क्रमोन्नयन के प्रस्ताव शासन को भेजे गये :-

क.सं.	पदनाम	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
नव सृजन :			
1	सहायक अनुभाग अधिकारी	6	नवसृजन
2	वरिष्ठ लिपिक	10	उपर्युक्त
3	शीघ्रलिपिक	5	उपर्युक्त
4	कनिष्ठ लिपिक	20	उपर्युक्त
5	वाहन चालक	3	उपर्युक्त
6	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	10	उपर्युक्त
7	वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष	1	क्रमोन्नयन
8	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	1	उपर्युक्त
9	सहायक प्रोग्रामर	1	उपर्युक्त
योग :		57	

- 2.4 शासन ने निम्नांकित अस्थाई पदों की दिनांक 29-02-2012 तक अवधि-वृद्धि हेतु महामहिम राज्यपाल की स्वीकृति प्रदान की :-

क्र.सं.	पद नाम	पदों की संख्या
1	उप सचिव (आर.ए.एस.)	1
2	सिस्टम एनालिस्ट	1
3	सहायक सचिव	1
4	अनुभाग अधिकारी	2
5	सदस्य-सचिव (व्याख्याताओं हेतु राज्य- पात्रता परीक्षा)	1
6	विधि सहायक	1
7	सूचना सहायक	5
8	कनिष्ठ लिपिक	6
9	वाहन चालक	2
10	वेटर	1
11	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5
योग :		26
संविदा आधार पर :		
1	ई.पी.ए.बी.एक्स. ऑपरेटर	1
2	जेनरेटर ऑपरेटर	1
3	इलेक्ट्रिशियन	1
4	कम्प्यूटर ऑपरेटर	5
योग :		8

- 2.5 1 अप्रैल, 2011 एवं 31 मार्च, 2012 को आयोग-सचिवालय के अधिकारी/कर्मचारी-वर्ग की स्वीकृत संख्या का विवरण परिशिष्ट-4 (क) में दिया गया है ।
- 2.6 आलोच्य वर्ष की समाप्ति पर पूर्ण हुए विगत पाँच वर्षों में किये गये कार्यों का तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट-4(ख) में दिया गया है ।

3. भवन


- 3.1. आयोग-सचिवालय का कार्यालय घूघरा घाटी, जयपुर रोड़, अजमेर में अपने भवन में स्थित है ।

4. आय-व्यय

- 4.1. प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान तथा विगत दो वर्षों के आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :-

(लाख रूपयों में)

वर्ष	आय	व्यय
2009-2010	254.29	1315.25
2010-2011	1618.00	1746.98
2011-2012	2574.00	2678.68



- 4.2 वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के अन्तर्गत हुई आय एवं व्यय का तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट-5 में दिया गया है।

5. आयोग की बैठकें

- 5.1. प्रतिवेदनाधीन वर्ष के अन्तर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण प्रकरणों पर निर्णय लेने हेतु, सम्पूर्ण आयोग की 10 बैठकें निम्नलिखित दिनांक को आयोजित की गई :-

दिनांक — 08.04.2011, 21.04.2011, 26.05.2011, 31.05.2011, 11.08.2011, 24.08.2011, 25.08.2011, 05.09.2011, 14.12.2011 एवं 25.03.2012

6. भर्ती

- 6.1. **साक्षात्कार बोर्ड** :- प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान आयोग द्वारा विभिन्न पदों/सेवाओं के लिये 342 बोर्डों का गठन कर 4882 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लिये गये। एक, दो एवं तीन बोर्ड द्वारा क्रमशः 142, 37 एवं 42 दिनों तक अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लिये गये।

(क) साक्षात्कार सहित अथवा रहित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा :

- 6.2 शासन से अर्थनाएँ प्राप्त होने पर आयोग द्वारा विभिन्न सेवाओं/पदों पर भर्ती हेतु लगभग 22 श्रेणी की परीक्षाएँ आयोजित की जाती है, जो निम्न प्रकारेण है :-

- (1) राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा
- (2) राजस्थान न्यायिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा
- (3) राजस्थान वन सेवा/रेन्जर्स (ग्रेड-।।) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा
- (4) सहायक अभियन्ता (सिविल/यांत्रिकी/विद्युत्) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा
- (5) श्रम कल्याण अधिकारी/श्रम निरीक्षक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा
- (6) एनालिस्ट कम प्रोग्रामर प्रतियोगी परीक्षा
- (7) प्रोग्रामर प्रतियोगी परीक्षा
- (8) विधि सहायक प्रतियोगी परीक्षा

- (9) विधि रचनाकार प्रतियोगी परीक्षा
- (10) उप-निरीक्षक, आरक्षी, संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा
- (11) शीघ्रलिपिक प्रतियोगी परीक्षा
- (12) लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार/तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा
- (13) मोटर वाहन, उप-निरीक्षक प्रतियोगी परीक्षा
- (14) सहायक कारापाल प्रतियोगी परीक्षा
- (15) कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगी परीक्षा
- (16) नर्स (ग्रेड- I) प्रतियोगी परीक्षा
- (17) छात्रावास अधीक्षक (समाज कल्याण विभाग हेतु) प्रतियोगी परीक्षा
- (18) कम्पाउण्डर/नर्स (जूनियर ग्रेड) प्रतियोगी परीक्षा (आयुर्वेद विभाग हेतु)
- (19) वरिष्ठ अध्यापक (द्वितीय श्रेणी) प्रतियोगी परीक्षा (माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु)
- (20) शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड - II प्रतियोगी परीक्षा (माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु)
- (21) सूचना सहायक प्रतियोगी परीक्षा (सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग हेतु)
- (22) अध्यापक (द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी) प्रतियोगी परीक्षा (संस्कृत शिक्षा विभाग हेतु)


6.3 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाएँ, पदों की संख्या, आवेदकों की संख्या, परीक्षा में उपस्थित, साक्षात्कार लिये गये एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों की सूचना, परिशिष्ट-17 में दी गई है।

6.4 वर्ष के दौरान आयोजित परीक्षाओं का विवरण परिशिष्ट 6-क में दिया गया है।

6.5 वर्ष के दौरान आयोजित परीक्षा के अन्तर्गत सम्मिलित पद/सेवा का उल्लेख परिशिष्ट-6 में किया गया है।

प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या

(साक्षात्कार सहित अथवा रहित प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा भर्ती)



6.6 आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं से विवर्जित अभ्यर्थी :- प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं/संवीक्षा परीक्षाओं में अनुचित तरीके अपनाए जाने का कोई भी प्रकरण नहीं पाया गया।

(ख) केवल साक्षात्कार पद्धति द्वारा :


6.7 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान 30 अर्थनाओं में सम्मिलित 957 पदों के विरुद्ध भर्ती का कार्य पूर्ण किया गया। उन पदों का, जिनके लिए भर्ती का कार्य पूर्ण किया गया,

विवरण परिशिष्ट-7(ग) मद संख्या 1 से 30 में दिया गया है। इसका सारांश निम्नानुसार है :-

कार्य पूर्ण किया गया संख्या		अभ्यर्थियों की संख्या		
अर्थनाएँ	पद सम्मिलित	आवेदक	साक्षात्कार लिया गया	चयनित
30	957	32635	2446	880


- 6.8 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान आयोग को 956 पदों हेतु 28 अर्थनाएँ प्राप्त हुईं। इनमें से 58 पदों हेतु 5 अर्थनाएँ शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया एवं आरक्षण के सम्बन्ध में दोषपूर्ण होने से सम्बन्धित विभागों को लौटाई गईं। इस प्रकार शेष रही 23 अर्थनाओं में सम्मिलित 898 पदों के लिए विज्ञापन जारी किये गये।
- 6.9 प्रतिवेदनाधीन वर्ष में प्राप्त अर्थनाओं के विरुद्ध विज्ञापित पदों का विभागानुसार/वर्गवार विवरण परिशिष्ट 7 – ख में दिया गया है।
- 6.10 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान आयोग ने आरक्षित सूचियों से 4 अभ्यर्थियों के नाम शासन को अभिस्तावित किये, जिनका विवरण परिशिष्ट 7 – ज में दिया गया है।
- 6.11 अभियांत्रिकी, चिकित्सा, तकनीकी एवं गैरतकनीकी पदों जिनके लिए अर्थनाएं वर्ष 2011-12 के दौरान प्राप्त हुईं, का विवरण परिशिष्ट 7 – क में दिया गया है।

केवल साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती



- 6.12 **संवीक्षा परीक्षाएँ** :- आयोग ने विभिन्न विभागों के 1489 पदों हेतु आवेदकों की छँटनी करने के लिये 46 संवीक्षा परीक्षाएँ आयोजित की। आयोजित संवीक्षा परीक्षाओं का विवरण परिशिष्ट-7(ड) में दिया गया है।

आयोजित संवीक्षा परीक्षाएँ एवं प्रतियोगी परीक्षाएँ



- 6.13 विज्ञापित पदों की सूची जिनके लिये वर्ष के अन्त तक चयन का कार्य अपूर्ण रहा, की सूचना परिशिष्ट 7 – घ में दी गई है।
- 6.14 ऐसे पदों की सूचना जिनके लिये कोई भी अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाये गये एवं ऐसे पद जिनके लिये किसी भी अभ्यर्थी ने आवेदन नहीं किया, की सूचना परिशिष्ट 7 – छ एवं झ में दी गई है।
- 6.15 व्याख्याताओं हेतु राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) :- प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सेट परीक्षा आयोजन हेतु प्रस्ताव भेजे गये। इस सन्दर्भ में दिनांक 27.02.2012 को राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा के आयोजन के लिये विजिटिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। वर्ष के अन्त तक उक्त परीक्षा हेतु मान्यता प्रतीक्षित थी।

7. भर्ती-प्रक्रिया में सुधार

- 7.1. पाठ्यक्रमों की समीक्षा, संशोधन एवं संरचना :- आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं संवीक्षा परीक्षाओं हेतु विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों की समीक्षा, संशोधन एवं संरचना का कार्य एक सतत् प्रक्रिया बन गई है। इस उद्देश्य से, आयोग द्वारा प्रतिष्ठित विषय-विशेषज्ञों को कार्यशालाओं/विचार-गोष्ठियों में भाग लेने हेतु आमन्त्रित किया जाता है।
- 7.2. प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, आयोग द्वारा निम्नलिखित 74 श्रेणी के पदों के पाठ्यक्रमों की समीक्षा अथवा संरचना का कार्य गणमान्य विषय-विशेषज्ञों द्वारा करवाया गया :-

क्र. सं.	विभाग का नाम/पद	पुनरीक्षित/नव सृजित
1	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सहायक आचार्य – क्षय, वक्ष एवं श्वास औषधि	नव सृजित
2	मनोरोग	नव सृजित
3	दन्त चिकित्सा	पुनरीक्षित
4	रेडियेशन फिजिक्स	नव सृजित

क्र. सं.	विभाग का नाम/पद	पुनरीक्षित/नव सृजित
	वरिष्ठ प्रदर्शक	
5	एनाटॉमी	पुनरीक्षित
6	फिजियोलोजी	पुनरीक्षित
7	बाँयो केमेस्ट्री	पुनरीक्षित
8	फार्माकॉलोजी	पुनरीक्षित
9	माईक्रो बायोलोजी	पुनरीक्षित
10	पेथोलोजी	पुनरीक्षित
11	कम्यूनिटी मेडिसिन (पी एण्ड एस एम)	पुनरीक्षित
12	दन्त चिकित्सा	पुनरीक्षित
13	रेडियेशन फिजिक्स	नव सृजित
14	फिजियोथेरेपिस्ट	नव सृजित
15	डाइटिशियन	नव सृजित
	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	
16	कनिष्ठ अभियंता, सिविल (डिग्री/डिप्लोमा)	पुनरीक्षित
17	कनिष्ठ अभियंता, मेकेनिकल/इलेक्ट्रिकल (डिग्री/डिप्लोमा)	पुनरीक्षित
18	कनिष्ठ रसायनज्ञ	पुनरीक्षित
	आयुर्वेद विभाग	
19	ग्रामीण आयुर्वेद चिकित्सक	नव सृजित
20	जिला आयुर्वेद अधिकारी/सहायक निदेशक/प्रबंधक फार्मसी	नव सृजित
21	प्रदर्शक	नव सृजित
	माध्यमिक शिक्षा	
22	वरिष्ठ अध्यापक (ग्रेड- II) - हिन्दी	पुनरीक्षित
23	विज्ञान	पुनरीक्षित
24	गणित	पुनरीक्षित
25	अंग्रेजी	पुनरीक्षित
26	सामाजिक विज्ञान	पुनरीक्षित
27	संस्कृत	पुनरीक्षित
28	उर्दू	पुनरीक्षित
29	सिंधी	पुनरीक्षित
30	गुजराती	पुनरीक्षित
31	पंजाबी	पुनरीक्षित
32	प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय	पुनरीक्षित
	व्याख्याता	
33	वाणिज्य	नव सृजित
34	अंग्रेजी	नव सृजित

क्र. सं.	विभाग का नाम/पद	पुनरीक्षित/नव सृजित
35	गणित	नव सृजित
36	जीव विज्ञान	नव सृजित
37	भौतिक शास्त्र	नव सृजित
38	रसायन शास्त्र	नव सृजित
39	उर्दू	नव सृजित
	तकनीकी शिक्षा विभाग	
	व्याख्याता	
40	सिविल अभियांत्रिकी	पुनरीक्षित
41	कम्प्यूटर अभियांत्रिकी	पुनरीक्षित
42	विद्युत अभियांत्रिकी	पुनरीक्षित
43	इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी	पुनरीक्षित
44	रसायन शास्त्र	पुनरीक्षित
45	भौतिक शास्त्र	पुनरीक्षित
46	कॉस्ट्यूम डिजाईन एवं ड्रेस मेकिंग	पुनरीक्षित
47	टेक्सटाइल डिजाईनिंग	पुनरीक्षित
	कृषि विभाग	
48	कृषि अधिकारी (कृषि रसायन)	नव सृजित
49	सहायक कृषि अधिकारी (कृषि रसायन)	नव सृजित
50	कृषि अनुसंधान अधिकारी (शस्य)	नव सृजित
51	सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (कीट विज्ञान)	नव सृजित
	पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग	
52	संग्रहाध्यक्ष	पुनरीक्षित
53	मुद्राशास्त्री	नव सृजित
54	खोज एवं उत्खनन अधिकारी	नव सृजित
	समाज कल्याण विभाग	
55	परिवीक्षा एवं कारागार कल्याण अधिकारी	पुनरीक्षित
56	परिवीक्षा सह समाज कल्याण अधिकारी	पुनरीक्षित
	राज्य अभिलेखागार विभाग	
57	पुरालेखपाल	पुनरीक्षित
58	अनुसंधान अधिकारी – पुरालेख	पुनरीक्षित
59	रसायनज्ञ	पुनरीक्षित
	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	
60	जनसम्पर्क अधिकारी	पुनरीक्षित
61	सहायक जनसम्पर्क अधिकारी	पुनरीक्षित
62	कनिष्ठ लिपिक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा	नव सृजित
63	सहायक लोक अभियोजक ग्रेड- II, अभियोजन विभाग	पुनरीक्षित

क्र. सं.	विभाग का नाम/पद	पुनरीक्षित/नव सृजित
64	सहायक नगर नियोजक (आयोजना अनुसंधान) नगर नियोजन विभाग	नव सृजित
65	तकनीकी सहायक, भू जल विभाग	पुनरीक्षित
66	निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर्स, कारखाना एवं बॉयलर विभाग	नव सृजित
67	सहायक खनि अभियंता, खान एवं भूगर्भ विभाग	नव सृजित
68	सहायक मत्स्य विकास अधिकारी, मत्स्य विभाग	नव सृजित
69	सहायक विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षणालय विभाग	पुनरीक्षित
70	सहायक भू संरक्षण अधिकारी (अभियांत्रिकी), वन विभाग	नव सृजित
71	सहायक भू संरक्षण अधिकारी (कृषि), वन विभाग	नव सृजित
72	मोटर वाहन उप निरीक्षक प्रतियोगी परीक्षा	पुनरीक्षित
73	कनिष्ठ रसायनज्ञ, भू जल विभाग	नव सृजित
74	रसायनज्ञ, खान एवं भूगर्भ विभाग	नव सृजित

8. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, निःशक्त जन एवं महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण

(क) परीक्षा द्वारा भर्ती—साक्षात्कार सहित अथवा रहित :

- 8.1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग (ओ.बी. सी. हेतु आरक्षण दिनांक 28.9.1993 से) (विशेष पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण दिनांक 25.08.2009 से) के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण क्रमशः 16, 12, 21 एवं 1 प्रतिशत भाग निर्धारित किया गया है। महिला अभ्यर्थियों हेतु सीधी भर्ती में 30 प्रतिशत रिक्तियाँ आरक्षित की गई हैं। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण, वे जिस वर्ग से सम्बन्धित हैं, उस अनुपात से समायोजित की जाती है तथा यह आरक्षण क्षितिजीय माना जायेगा। (महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 7.6.1999 को जारी एवं दिनांक 1.4.1999 से प्रभावी हुई)। इसी भाँति, सीधी भर्ती में विशेष योग्य जन अभ्यर्थियों के लिये 3 प्रतिशत रिक्तियों का आरक्षण रखा गया है, जो कि क्षितिजीय माना जायेगा तथा सभी श्रेणियों में से समायोजित किया जायेगा (विशेष योग्य जन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 22-9-2000 को जारी तथा इसी दिनांक से प्रभावित हुई)

(ख) केवल साक्षात्कार द्वारा भर्ती :

- 8.2 केवल साक्षात्कार द्वारा भर्ती के मामले में आयोग ने निम्नानुसार अभ्यर्थी चयनित एवं अभिस्तावित किये :-

श्रेणी	आरक्षित पदों की संख्या				अभिस्तावित अभ्यर्थियों की संख्या					
	पुरुष	महिला	(निःशक्त-जन)		योग	पुरुष	महिला	(निःशक्त-जन) *		योग
			पु.	म.				पु.	म.	
अ.जा.	203	72	8	0	283	186	51	1	1	239
अ.ज.जा.	167	57	0	0	224	130	45	1	0	176
अ.पि.व.	97	21	0	0	118	121	45	7	1	174
वि.पि.व.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सामान्य	261	95	0	0	356	181	93	13	4	291
योग :	728	245	8	0	981	618	234	22	6	880


*निःशक्त जन एवं महिला अभ्यर्थी सभी श्रेणियों में से।

- 8.3 विशेष योग्य जन हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध अभिस्तावित अभ्यर्थियों का विभागानुसार विवरण परिशिष्ट 8 (क) में दिया गया है।

9. विभागीय पदोन्नति समितियाँ एवं अन्य समितियाँ

- 9.1. आयोग ने विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणी के पदों पर कार्यरत 276 व्यक्तियों की तदर्थ/अस्थाई नियुक्तियों को नियमित करने हेतु 20 अवसरों पर विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकें आयोजित कीं। इनमें प्रकरणों की सर्वाधिक संख्या सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार (कम्प्यूटर) विभाग (119) थी।
- 9.2 27 अवसरों पर 872 पदधारकों को नियमित करने हेतु पुनर्विलोकन समितियों की बैठकें भी आयोजित हुईं। इनमें प्रकरणों की सर्वाधिक संख्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (825) थी।
- 9.3 15 अवसरों पर 1729 पदधारकों को नियमित करने हेतु संवीक्षा समितियों की बैठकें भी आयोजित की गईं।
- 9.4 इनके अतिरिक्त समीक्षा/नियमित विभागीय पदोन्नति समिति के तीन एवं संवीक्षा समिति की बैठकों के 4 प्रकरणों में बैठकों का कार्यवाही विवरण वर्ष के अन्त तक प्रतीक्षित था।

डी.पी.सी. द्वारा आयोजित बैठकें एवं आशार्थियों की संख्या



10. अस्थायी नियुक्तियों की अवधि-वृद्धि

- 10.1. अस्थायी नियुक्तियों की अवधि में वृद्धि हेतु आयोग की सहमति प्राप्त करने के लिये संदर्भित किये गये तदर्थ/अस्थायी नियुक्तियों के प्रकरणों का प्रतिवर्ष उल्लेख किया जाता है। 5 वर्ष से एवं कतिपय मामलों में 10 वर्ष से भी अधिक समय से चले आ रहे तदर्थ/अस्थायी नियुक्तियों के प्रकरणों की स्थिति से शासन को भी इस आशय से अवगत कराया गया था कि शासन द्वारा इन मामलों को नियमित करने में तीव्रगामी कदम लिये जायेंगे। वर्ष के दौरान पदोन्नति द्वारा चयन करने हेतु विभागीय पदोन्नति समितियों की कई बैठकें आयोजित करने के उपरान्त भी इस वर्ष तदर्थ/अस्थायी नियुक्तियों की स्थिति को संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता। ऐसी तदर्थ/अस्थायी नियुक्तियों की दीर्घकालिक मामलों की एक दृष्टान्तक सूची परिशिष्ट-9 में दी गई है।
- 10.2. प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, सीधी भर्ती यथांश (कोटा) द्वारा भरे जाने वाले पदों के विरुद्ध 258 व्यक्तियों की अस्थायी नियुक्तियों की अवधि-वृद्धि हेतु आयोग की सहमति प्रदान की गई, इनका विवरण परिशिष्ट-11 में दिया गया है।
- 10.3. इस प्रकार, ऐसे सभी तदर्थ/अस्थायी नियुक्त व्यक्तियों की कुल संख्या, जिनकी नियुक्ति सीधी भर्ती एवं पदोन्नति यथांश (कोटा) पदों के विरुद्ध की गई थी, विगत वर्ष की 24 की तुलना में प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान 289 हो गई। आशा है कि शासन द्वारा ऐसी नियुक्तियों को प्रतिबंधित करने हेतु उचित कार्यवाही की जाएगी।
- 10.4. प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, पदोन्नति यथांश (कोटा) द्वारा भरे जाने वाले पदों के विरुद्ध 31 व्यक्तियों की अस्थायी नियुक्तियों की अवधि-वृद्धि हेतु आयोग की सहमति प्रदान की गई, इनका विवरण परिशिष्ट-10 में दिया गया है।
- 10.5. अत्यावश्यक तदर्थ नियुक्तियों के मामले में आयोग की सहमति प्राप्त करने के लिये संदर्भित करते समय, कतिपय नियुक्त प्राधिकारी, स्पष्ट एवं पूर्ण सूचना सहित अर्थनाएँ निर्धारित प्रपत्र में भिजवाने सम्बन्धी विशिष्ट निर्देशों के उपरान्त भी निर्धारित प्रपत्र में सूचना भेजने में असफल रहे। फलस्वरूप, इन प्रकरणों में अत्यधिक विलम्ब हुआ। प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, सीधी भर्ती/पदोन्नति यथांश (कोटा) पदों के विरुद्ध नियुक्त हेतु 2 अपूर्ण मामले, 219 व्यक्तियों से सम्बन्धित विगत वर्ष एवं 11 अपूर्ण मामले 492 व्यक्तियों से सम्बन्धित आलोच्य वर्ष में आयोग को संदर्भित किये गये। इस सूची का उल्लेख परिशिष्ट - 12 में किया गया है।
- 10.6. आयोग द्वारा यह भी दृष्टिगत किया गया कि कुछ नियुक्त प्राधिकारी तदर्थ/अस्थायी नियुक्तियों के प्रकरणों में आयोग की सहमति प्राप्त करने हेतु प्रकरण समय पर भेजने में असफल रहे। ऐसे देरी से भेजे गये प्रकरणों की सूची परिशिष्ट - 13 में दी गई है।


11. अनियमित नियुक्तियाँ

- 11.1. प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान अनियमित नियुक्त का कोई भी प्रकरण आयोग के समक्ष नहीं आया।

12. अनुशासनात्मक प्रकरण एवं अपीलें

12.1. **अनुशासनिक प्रकरण** :- दिनांक 1-4-2011 को आयोग के पास 49 प्रकरण लम्बित थे। वर्ष के दौरान 44 प्रकरण आयोग को प्राप्त हुए। इस प्रकार कुल 93 मामले हुए। आयोग ने 49 प्रकरणों पर अपना परामर्श दिया। वर्ष की समाप्ति पर आयोग के पास 44 प्रकरण लम्बित थे, जिनमें से 33 प्रकरण शासन से जानकारी चाहने हेतु तथा 11 प्रकरण आयोग के विचाराधीन रहे। एक प्रकरण आयोग के परिक्षेत्र से बाहर होने से आयोग का परामर्श नहीं दिया गया। इस प्रकार वर्ष के अन्त में 43 प्रकरण आयोग के विचाराधीन शेष रहे।

12.2. शासन द्वारा 31 प्रकरणों पर (यथा-21 वर्तमान वर्ष के + 10 प्रकरण विगत वर्षों के) आयोग के परामर्श से सहमति व्यक्त की गई।



12.3. इस प्रकार, वर्ष की समाप्ति तक कुल 93 मामलों में से, 43 मामले आयोग के परामर्श हेतु लम्बित रहे। विगत वर्षों एवं विचाराधीन वर्ष में प्राप्त अनुशासनात्मक प्रकरणों के निस्तारण की कार्यवाही का विस्तृत विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :-

क्र. सं.	मद	विभागीय जाँच के प्रकरण		
		चालू वर्ष से सम्बन्धित	विगत वर्षों से सम्बन्धित	योग
1.	(अ) आयोग के स्तर पर विगत वर्ष के शेष प्रकरण	—	49	49
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त प्रकरण	44	—	44
	योग :	44	49	93
3.	आयोग द्वारा परामर्श दिया गया एवं प्रकरण शासन को प्रेषित किये गये	31	18	49
4.	आयोग के परामर्श हेतु लम्बित मामले योग : (कॉलम 1+2-3)			
	(क) शासन द्वारा विवरण भेजने सम्बन्धी प्रकरण	9	24	33
	(ख) आयोग के विचाराधीन प्रकरण	4	7	11
	योग : कॉलम 4 (क) + (ख) ,	13	31	44
	* शासन द्वारा प्रकरण समाप्त किये गये ।	—	—	—
	** आयोग के परिक्षेत्र से बाहर प्रकरण ।	1	—	1

क्र. सं.	मद	योग :		
		12	31	43
		विभागीय जाँच के प्रकरण		
		चालू वर्ष से सम्बन्धित	विगत वर्षों से सम्बन्धित	योग
	(ब) शासन के स्तर पर			
1	वर्ष के प्रारम्भ में शासन के पास बकाया प्रकरण	—	47	47
2	आयोग द्वारा शासन को परामर्श दिया गया	31	18	49
	योग : कॉलम (1+2)	31	65	96
3	शासन द्वारा निस्तारित प्रकरण – (क) शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई (ख) शासन द्वारा प्रकरण समाप्त किया गया (ग) आयोग के परामर्श की अस्वीकृति	21 — —	21 — —	42 — —
	योग : कॉलम 3(क)+(ख)+(ग) ,	21	21	42
4	शासन के निर्णय हेतु लम्बित प्रकरण योग: (कॉलम 1+2-3)	10	44	54

12.4 **अपील/पुनर्विलोकनार्थ विभागीय जाँच के प्रकरण** :- प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, विभागीय जाँच के पुनर्विलोकन का एक प्रकरण, आयोग को प्राप्त हुआ। अपील सम्बन्धी कोई मामला आयोग को प्राप्त नहीं हुआ।

12.5 **वाद/याचिकाएँ** :- प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, विगत वर्षों के 3094 तथा इस वर्ष के 974 प्रकरण मिलाकर कुल 4068 प्रकरण सिविल वाद/परिवाद/याचिकायें/अपीलें/डी.बी. सिविल विशेष अपीलें/एस.एल.पी. आदि जो कि सिविल न्यायालयों/उच्च न्यायालय/सेवा प्राधिकरण/उच्चतम न्यायालय/राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग/जिला उपभोक्ता मंचों आदि में दायर किये गये थे, लम्बित थे। न्यायालयों द्वारा कुल 1411 वाद आलोच्य वर्ष में निर्णीत किये गये। इस प्रकार कुल 2657 प्रकरण न्यायालय के निर्णय हेतु विचाराधीन रहे।

13. सेवा नियम

13.1 विभिन्न सेवा नियमों से सम्बन्धित 192 नियमों/अनुसूचियों के प्रारूप संशोधन आयोग को उनकी टिप्पणियों हेतु संदर्भित किये गये थे, इन सभी 192 प्रारूप संशोधनों पर टिप्पणी कर पुनः शासन को प्रेषित कर दिये गये। इसका विवरण परिशिष्ट – 14 में दिया गया है।

13.2 आयोग ने 2 नवीन सेवा नियमों के प्रारूपों का भी परीक्षण कर निस्तारण किया, इनका उल्लेख भी परिशिष्ट-14-क में किया गया है।


13.3 शासन ने 38 नवीन सेवा नियम एवं सेवा नियम/विनियमों में संशोधन प्रख्यापित किये, जिसका विवरण परिशिष्ट-15 में दर्शाया गया है।

13.4 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान सशस्त्र सैन्य बल/अर्द्ध-सैन्य बल सेवा के मृत/स्थायी रूप से अक्षम कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने सम्बन्धी, तीन प्रकरण आयोग को उनकी सहमति हेतु प्राप्त हुए। इन प्रकरणों का संबंधित सेवा नियमों के

प्रावधानों के अन्तर्गत परीक्षण किया गया एवं दो प्रकरणों में आयोग की सहमति प्रदान की गई। अन्य एक प्रकरण में वर्ष के अन्त तक शासन से पत्र व्यवहार जारी था। इन प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट-16 में दिया गया है।

- 13.5 इसके अतिरिक्त, प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान राजस्थान लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1951, राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ नियम, 1963 एवं राजस्थान ग्रामीण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ नियम, 2008 में प्रस्तावित संशोधन के प्रकरण आयोग की सहमति हेतु प्राप्त हुए। इन प्रकरणों का संबंधित सेवा नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत परीक्षण किया गया। आयोग द्वारा उक्त तीनों प्रकरणों में सहमति प्रदान करने से उनके पत्र दिनांक 11.08.2011 द्वारा मना किया गया। परन्तु, शासन द्वारा आयोग के असहमत होने के बावजूद इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई।
- 13.6 आयोग द्वारा उनके पत्र दिनांक 18.11.2011 द्वारा शासन से उपरोक्त अधिसूचना जारी करने के कारण/परिस्थितियों के संबंध में जानकारी चाही गई ।
- 13.7 आयोग के दिनांक 18.11.2011 के संदर्भ में शासन द्वारा सूचित किया गया कि कथित अधिसूचना 01.01.2012 मंत्रीमंडल के आदेश क्रमांक 112/2011 दिनांक 12.08.2011 की अनुपालना में जारी की गई । शासन ने पुनः आयोग की सहमति हेतु अनुरोध किया । उक्त प्रकरण प्रतिवेदनाधीन वर्ष के अन्त तक आयोग विचाराधीन रहा ।
- 13.8 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान आयोग द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970 में संशोधन संबंधी शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27.06.2011 पर भूतलक्षी (कार्योत्तर) सहमति उनके पत्र दिनांक 13.09.2011 द्वारा इस सुझाव के साथ प्रदान की गई कि प्रकाशित प्रावधानों का क्रियान्वयन केवल एक बार ही किया जायेगा ।
- 13.9 शासन ने उनके पत्र दिनांक 10.10.2011 के द्वारा सूचित किया कि आयोग के पत्र दिनांक 13.09.2011 द्वारा दिया गया सुझाव मान्य नहीं है क्योंकि शासन की अधिसूचना दिनांक 27.06.2011 मंत्रीमंडल से स्वीकृति लेने के पश्चात् जारी की गई थी ।

नियमों/अनुसूचियों में संशोधनों की संख्या



14. आयोग के परामर्श की अस्वीकृति

- 14.1 यह संतोष का विषय है कि आलोच्य वर्ष के दौरान शासन द्वारा आयोग के परामर्श की अस्वीकृति का कोई भी प्रकरण आयोग की जानकारी में नहीं आया ।

15. विविध

अध्यक्ष एवं सदस्य-गण की यात्राएँ :-

- 15.1 प्रो. बी.एम. शर्मा, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने दिनांक 29.10.2011 को बिहार लोक सेवा आयोग में आयोजित राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों (भारत) की नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में भाग लिया ।
- 15.2 श्री बी.एस. गुर्जर, माननीय सदस्य, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने दिनांक 20.06.2011 को आपसी हितों के विषयों पर विचार – विमर्श के लिए महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग, मुम्बई का भ्रमण किया ।
- 15.3 श्री बी. रामाकृष्ण राजू, माननीय अध्यक्ष (प्रभारी), आन्ध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग ने दिनांक 11.04.2011 को राजस्थान लोक सेवा आयोग का दौरा कर आपसी हितों के विषयों पर विचार-विमर्श किया ।
- 15.4 डॉ. मंजुला विष्ट, माननीय सदस्य, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग ने दिनांक 23.08.2011 को राजस्थान लोक सेवा आयोग का दौरा कर आपसी हितों के विषयों पर विचार-विमर्श किया ।
- 15.5 **पुस्तकालय :-** आयोग में स्वयं का पुस्तकालय है । विषय-विशेषज्ञों, परीक्षकों एवं आयोग के स्टॉफ के लिये बड़ी संख्या में विभिन्न विषयों की संदर्भ पुस्तकें, पीरियोडिकल्स, पत्रिकाएँ, एन्साइक्लोपीडिया, समाचार-पत्र आदि उपलब्ध होना, इस पुस्तकालय की समृद्धि का सूचक है । इसका विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष 2011-12 में उपलब्ध संख्या		
1.	कुल पुस्तकें	17494
2.	बाउण्ड पीरियोडिकल्स	6058
3.	जरनल्स	22
4.	सामान्य मैगैजिन्स	27
5.	समाचार-पत्र	15

- 15.6 **“सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005” का क्रियान्वयन – प्रतिवेदन :-** “सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005” के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2011 को 791 प्रार्थना-पत्र लम्बित थे । प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ चाहने हेतु आयोग द्वारा 5015 प्रार्थना-पत्र प्राप्त किए गए । इस प्रकार, कुल प्रार्थना-पत्र 5806 हुए । आयोग द्वारा 5536 प्रार्थना-पत्र निस्तारित किए गए । इस प्रकार प्रतिवेदनाधीन वर्ष के अन्त तक आयोग में 270 प्रार्थना-पत्र विचारार्थ लम्बित रहे ।

15.7 “सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005” के अन्तर्गत अपीलों का निस्तारण :-

क्र.सं.	विवरण	प्रथम अपील	द्वितीय अपील	योग
1	गत वर्ष (2010-11) की लम्बित अपीलें	39	44	83
2	वर्तमान वर्ष (2011-12) से सम्बन्धित अपीलें	587	168	755
	योग :	626	212	838
3	वर्तमान वर्ष के दौरान अपीलों का निस्तारण	582	66	648
4	लम्बित अपीलें शेष रही	44	146	190

15.8 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान “सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005” के अन्तर्गत फीस के रूप में राशि रूपये 72351/- प्राप्त हुई ।

15.9 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, दिनांक 01.04.2011 को निःशक्त जन अधिनियम के अन्तर्गत आयोग के पास 8 अपीलें लम्बित थीं तथा 14 अपीलें वर्ष के दौरान प्राप्त हुई । इस प्रकार, कुल 22 अपीलें हुई । आयोग द्वारा 8 अपीलें निस्तारित की गई । इस प्रकार वर्ष के अन्त में 14 अपीलें विचारार्थ लम्बित रहीं ।

15.10 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान राजस्थान सूचना आयोग से 12 अपीलें प्राप्त हुई । पूर्व वर्ष की लम्बित 2 अपीलों सहित कुल 14 अपीलों में से आयोग ने 9 अपीलों का निस्तारण किया । वर्ष के अन्त में 05 अपीलें आयोग के पास विचारार्थ लम्बित रहीं ।

15.11 **राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षगण (भारत) के 14वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन**

दिनांक 09 एवं 10 फरवरी, 2012 को राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षगण के 14 वे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन राजस्थान लोक सेवा आयोग भवन, अजमेर में किया गया ।

राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षगणों का सम्मेलन दीर्घकाल से होता आ रहा है और वर्तमान में यह उसका 14वाँ सम्मलेन है। इस सम्मेलन में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ही पदेन अध्यक्ष होते हैं। इस सम्मेलन में लोक सेवा आयोगों की कार्यप्रणालियों, नवाचारों, समस्याओं एवं संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा एवं अनुभवों का आदान प्रदान किया जाता है ।

सम्मेलन में निम्न विषयों पर विचार-विमर्श किया गया :-

- (क) सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग, विशेषकर ऑन-लाईन आवेदन-पत्र, परीक्षा एवं परीक्षा संबंधी कार्यों में उपयोग ।
- (ख) महाराष्ट्र सिविल सेवा परीक्षा की नूतन परीक्षा योजना ।
- (ग) आयोगों के बढ़ते कार्यभार एवं आयोग के परिक्षेत्र से पदों को हटाया जाना
- (घ) स्केलिंग का बिंदु व राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धति ।
- (च) अभ्यर्थियों की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदर्शन करने व नई चुनौतियों के समक्ष छवि निर्माण में आयोग की भूमिका ।

- (छ) सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये नवीनतम निर्णय एवं प्रकरणों का निस्तारण
- (ज) राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन एवं भत्तों में समानता एवं वारन्ट ऑफ प्रीसिडेंस
- (झ) लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्य गणों की सेवा निवृत्ति आयु 65 वर्ष करने के संबंध में विचार विमर्श
- (ट) माननीय अध्यक्ष/सदस्य को अतिरिक्त पेंशन के संबंध में विचार विमर्श

सम्मेलन के प्रथम दिन दिनांक 09.02.12 को डॉ. जितेन्द्र सिंह, माननीय जल संसाधन, ऊर्जा, सूचना एवं जनसम्पर्क मंत्री, राजस्थान सरकार ने सम्मेलन का उद्घाटन किया ।

सम्मेलन के दूसरे दिन दिनांक 10.02.2012 को समापन सत्र की अध्यक्षता महामहिम राज्यपाल राजस्थान श्री शिवराज वी. पाटिल ने की ।

उक्त सम्मेलन में भारत के विभिन्न 28 राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष एवं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष में से कुल संघ लोक सेवा आयोग सहित 25 राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष एवं अध्यक्ष के प्रतिनिधि के रूप में सदस्य सम्मिलित हुए, जो कि अब तक आयोजित हुए सभी सम्मेलनों में सर्वाधिक उपस्थिति रही है । सम्मेलन में उपस्थित हुए माननीय अध्यक्ष एवं अध्यक्ष के प्रतिनिधि माननीय सदस्यों का विवरण निम्न प्रकार है :-

- 1 प्रो. डी. पी. अग्रवाल, माननीय अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
- 2 प्रो. जी. पड्डियाह, माननीय सदस्य, आन्ध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग, हैदराबाद ।
- 3 डॉ. एस. रहमान, माननीय सदस्य, असम लोक सेवा आयोग, गुवाहाटी ।
- 4 डॉ. लिगू ताको, माननीय अध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, ईटानगर ।
- 5 श्री के. सी. साहा, माननीय अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना ।
- 6 प्रो. पी.के. जोशी, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर ।
- 7 श्री महेन्द्र कुमार टी. भट्ट, माननीय अध्यक्ष, गुजरात लोक सेवा आयोग, अहमदाबाद ।
- 8 श्री पी.एन. देसाई, माननीय अध्यक्ष, गोवा लोक सेवा आयोग, पणजी ।
- 9 ले.ज. श्री डी.पी. वत्स, माननीय अध्यक्ष, हरियाणा लोक सेवा आयोग, पंचकुला ।
- 10 मे.ज.श्री सी.एम. शर्मा, माननीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला ।
- 11 श्री. के.एम.वानी, माननीय सदस्य, जम्मू एवं कश्मीर लोक सेवा आयोग, जम्मू ।
- 12 श्री शिव बसन्त, माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची ।
- 13 श्री गोनल भीमप्पा, माननीय अध्यक्ष, कर्नाटक लोक सेवा आयोग, बंगलूरु ।
- 14 डॉ. के.एस. राधाकृष्णन, माननीय अध्यक्ष, केरल लोक सेवा आयोग, तिरुवनन्तपुरम ।
- 15 श्री ए.के. पाण्डे, माननीय अध्यक्ष, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर ।
- 16 श्री डी. येडेकर, माननीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग, मुम्बई ।
- 17 श्री डब्लू.बी. सूचियांग, माननीय सदस्य, मेघालय लोक सेवा आयोग, शिलोंग ।
- 18 श्री वेंगमवैया, माननीय अध्यक्ष, मिजोरम लोक सेवा आयोग, इम्फाल ।
- 19 डॉ. होकुतो झिमोमी, माननीय अध्यक्ष, नागालैण्ड लोक सेवा आयोग, कोहिमा ।
- 20 डॉ. चिन्मय बासु, माननीय अध्यक्ष, ओडिशा लोक सेवा आयोग, कटक ।
- 21 ले.ज. श्री आर.एस.सुजलाना, माननीय अध्यक्ष, पंजाब लोक सेवा आयोग, पटियाला ।
- 22 श्री एम.एल. अर्वावतिया, माननीय अध्यक्ष, सिक्किम लोक सेवा आयोग, गंगटोक ।
- 23 श्री आर. नटराज, माननीय अध्यक्ष, तमिलनाडू लोक सेवा आयोग, चेन्नई ।

- 24 डॉ. एस. सेन, माननीय अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग, कोलकाता ।
25 प्रो. बी. एम. शर्मा, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।

इनके अतिरिक्त राजस्थान लोक सेवा आयोग के माननीय सदस्य श्री शिव पाल सिंह नाँगल, डॉ. पी.के. दशोरा, श्री के. एल. बेरवाल, श्री ब्रह्मसिंह गुर्जर, डॉ. हबीब खान गौरान एवं कर्नाटक लोक सेवा आयोग के माननीय सदस्य डॉ. बी.एस. कृष्णा प्रसाद भी सम्मिलित हुए ।

15.12 अतिथि-गृह :

वर्ष 2010 में माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा रु. 155.39 लाख रु. की लागत से आयोग के लिए एक विशेष अतिथि गृह निर्माण की स्वीकृति दी गई और दिनांक 21.11.10 को इसका शिलान्यास भी उनके द्वारा किया गया । इस दो मंजिले अतिथि गृह में 14 कक्ष हैं। इसके अतिरिक्त आयोग कार्य के निष्पादन के लिए दो हॉल भी निर्मित हैं। वाहन चालकों के लिए पृथक से डोरमेट्री भी बनाई गई। आयोग परिसर में बनाए गए अतिथि गृह से आयोग में मूल्यांकन/साक्षात्कार एवं विभिन्न गोपनीय कार्यों से आमंत्रित विषय विशेषज्ञों को तो सुविधा होगी ही, साथ ही साथ मूल्यांकन कार्य को गति मिलेगी एवं गोपनीयता बनाये रखने में भी सहायता प्राप्त होगी।

आयोग के नवनिर्मित अतिथि गृह का लोकार्पण डॉ. जितेन्द्र सिंह, माननीय जल संसाधन, ऊर्जा, सूचना एवं जनसम्पर्क मंत्री, राजस्थान सरकार ने दिनांक 09.02.2012 को किया । प्रो. डी.पी. अग्रवाल, माननीय अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ने अतिथि गृह के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की ।

15.13 कम्प्यूटर लैब :

आयोग भवन में टाटा कंसल्टेन्सी सर्विसेज के सहयोग से एक कम्प्यूटर लैब स्थापित की गई है । इस कम्प्यूटर लैब के स्थापित हो जाने से आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली ऐसी ऑनलाईन परीक्षाएँ, जहाँ अभ्यर्थियों की संख्या कम है, आयोग भवन में ही लिया जाना संभव हो पायेगा। ऑनलाईन परीक्षा की स्वयं के स्तर पर व्यवस्था वाला यह पहला लोक सेवा आयोग है। वर्तमान में इसमें रु.10.00 लाख की लागत से 50 कम्प्यूटर स्थापित किये गए हैं, जिसे भविष्य में 100 अतिरिक्त कम्प्यूटरों से युक्त किया जा सकता है।

15.14 ISO 9001:2008 प्रमाणपत्र

राजस्थान लोक सेवा आयोग को गुणवत्ता प्रबंधन के लिए दिनांक 22.06.2011 को Quest Certification (P) Ltd. Accredited by Joint Accreditation System of Australia and New Zealand द्वारा ISO 9001:2008 प्रमाणपत्र प्रदान किया गया । राजस्थान लोक सेवा आयोग इस प्रकार का प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाला गुजरात लोक सेवा आयोग के बाद देश का दूसरा लोक सेवा आयोग है ।

16. अभिस्वीकृति

16.1 राज्य सरकार, विभिन्न विभागाध्यक्षों, जिलाधीशों, क्षेत्रीय/जिला नियोजन अधिकारियों तथा अन्य राजकीय संस्थाओं द्वारा आयोग के कार्य सम्पादन में प्रदत्त सहायता एवं सहयोग को आयोग स्वीकार करता है ।

16.2 निजी शिक्षण संस्थाओं के स्टॉफ एवं प्राधिकारियों द्वारा आयोग को विभिन्न परीक्षाओं के आयोजनार्थ प्रदत्त सहायता एवं सहयोग के प्रति आयोग अपनी ओर से प्रशंसा अभिलिखित करते हैं ।

16.3 आयोग अपने अधिकारियों एवं स्टॉफ द्वारा प्रदत्त निष्ठापूर्ण एवं दक्ष सेवाओं के लिए भी अपनी ओर से प्रशंसा अभिलिखित करते हैं ।

17. राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2010 में अभ्यर्थियों के निष्पादन की समीक्षा

राज्य, अन्य एवं अधीनस्थ सेवाओं के 821 पदों पर भर्ती हेतु यह परीक्षा आयोजित की गई । दिनांक 30-06-2010 को पद विज्ञापित किए गए, जिनके लिए आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि 30-07-2010 रखी गई ।

प्रारम्भिक परीक्षा दिनांक 29-09-2010 को 1159 केन्द्रों (यथा - सभी जिला मुख्यालयों) पर आयोजित की गई । प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम दिनांक 14-11-2010 को घोषित किया गया ।

मुख्य (लिखित) परीक्षा दिनांक 28-12-10 से 13-01-11 तक आयोजित की गई । मुख्य (लिखित) परीक्षा का परिणाम दिनांक 02-06-11 को घोषित किया गया तथा योग्य पाए गये अभ्यर्थियों के साक्षात्कार दिनांक 27-06-11 से 29-08-11 तक लिए गए ।

अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के पश्चात् अन्तिम परिणाम दिनांक 29-08-2011 को घोषित किया गया । 1961 चयनित अभ्यर्थियों की अभिस्तावनाएँ दिनांक 15-09-2011 को शासन को प्रेषित की गई ।

इस परीक्षा की सामान्य सूचना निम्नांकित तालिका में दर्शाई गई है :-

क्र. सं.	मद	योग	सामान्य		आरक्षित पद								*विभागीय कर्मचारी	
					अ.जा.		अ.ज.जा.		अ.पि.व.		वि.पि.व.			
			पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.		
1.	विज्ञापित पदों की संख्या													
	(क)राज्य सेवाएँ	394	139	61	47	18	31	13	58	26	1	0	-	
	(ख)अधीनस्थ सेवाएँ	427	158	63	46	18	33	15	61	30	2	1	-	
	योग	821	297	124	93	36	64	28	119	56	3	1	-	
	टिप्पणी * सभी श्रेणियों में से													
2.	आवेदक एवं प्रारम्भिक परीक्षा में प्रवेशित	368519	73674	36847	61060	18780	52750	14166	80158	31084	8332	1770	-	
3.	प्रारम्भिक परीक्षा में उपस्थित	282245	49497	26831	47137	13225	40066	9663	63732	23784	6890	1390	-	
4.	सफल घोषित अभ्यर्थी एवं मुख्य परीक्षा में प्रवेशित	13500	4456	1860	1396	540	960	421	2742	914	167	44	-	
5.	मुख्य परीक्षा में उपस्थित	11812	3590	1601	1275	486	890	400	2535	831	161	43	-	
6.	साक्षात्कार हेतु योग्य	2015	598	252	185	74	130	56	553	125	37	5	-	
7.	साक्षात्कार हेतु आमंत्रित (न्यायालय के आदेशानुसार)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	साक्षात्कार लिए गये	1961	585	250	181	71	125	50	538	120	36	5	-	
9.	शासन को अभिस्तावित	1961	585	250	181	71	125	50	538	120	36	5	-	
10.	परिणाम रोका गया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

यह अध्ययन साक्षात्कार के पश्चात् शासन को अन्तिम रूप से अभिस्तावित अभ्यर्थियों से ही सम्बंधित है । अभ्यर्थियों के निष्पादन की समीक्षा उनके द्वारा आवेदन-पत्रों में अंकित शैक्षिक उपलब्धियों, अनुभव आदि तथा परीक्षा में उनके निष्पादन पर आधारित है ।

अभिस्तावित अभ्यर्थियों का जिलेवार वितरण

क्र. सं.	जिले का नाम	सामान्य		अ.पि.व.		वि.पि.व.		अ.जा.		अ.ज.जा.		सर्वयोग		
		म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	योग
1.	अजमेर	26	15	7	6	2	1	9	10	1	1	45	33	78
2.	अलवर	26	17	38	6	1	-	16	1	13	6	94	30	124
3.	बांसवाड़ा	10	-	3	3	-	-	-	-	10	1	23	4	27
4.	बारां	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6
5.	बाड़मेर	21	-	38	1	-	-	8	-	-	-	67	1	68
6.	भरतपुर	25	15	26	6	3	1	5	1	1	1	60	24	84
7.	भीलवाड़ा	12	5	1	-	-	-	2	1	2	-	17	6	23
8.	बीकानेर	9	11	26	5	-	-	5	3	-	-	40	19	59
9.	बूंदी	6	3	1	-	-	-	-	-	1	-	8	3	11
10.	चित्तौड़गढ़	5	3	6	1	-	-	4	-	-	-	15	4	19
11.	चुरू	7	2	14	7	-	-	4	2	-	1	25	12	37
12.	दोसा	14	4	3	1	5	-	7	2	12	3	41	10	51
13.	धौलपुर	7	3	1	-	-	-	-	-	2	-	10	3	13
14.	झुंझुनू	4	-	2	-	-	-	1	-	5	2	12	2	14
15.	हनुमानगढ़	9	2	16	8	-	-	2	1	-	-	27	11	38
16.	जयपुर	65	58	56	12	11	1	37	27	27	18	196	116	312
17.	जैसलमेर	5	2	5	1	-	-	2	-	-	-	12	3	15
18.	जालौर	10	1	25	3	3	-	-	-	1	-	39	4	43
19.	झालावाड़	1	3	-	-	-	-	1	1	1	1	3	5	8
20.	झुंझुनू	16	5	57	22	4	-	11	5	4	-	92	32	124
21.	जोधपुर	26	9	44	9	-	-	7	5	-	-	77	23	100
22.	करौली	19	4	3	-	3	-	1	-	18	7	44	11	55
23.	कोटा	5	5	2	1	-	1	3	-	1	1	11	8	19
24.	नागौर	26	6	48	4	-	-	7	2	-	-	81	12	93
25.	पाली	14	2	21	4	-	-	10	1	-	-	45	7	52
26.	राजसमन्द	8	1	2	-	-	-	2	-	-	-	12	1	13
27.	सवाई माधोपुर	11	6	2	-	2	-	4	-	18	4	37	10	47
28.	श्रीगंगानगर	15	9	22	4	-	-	7	2	-	-	44	15	59
29.	सीकर	23	10	44	12	1	-	14	2	4	-	86	24	110
30.	सिरोही	7	-	6	1	1	-	3	1	-	-	17	2	19
31.	टोंक	9	1	7	2	-	-	3	-	1	1	20	4	24
32.	उदयपुर	18	7	8	2	-	-	6	4	3	1	35	14	49
33.	प्रतापगढ़	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	3
योग		462	209	537	121	36	5	181	71	126	49	1342	455	1797

अन्य राज्य

क्र.सं.	राज्य का नाम	म.	पु.	योग
1.	उत्तर प्रदेश	66	14	80
2.	बिहार	28	2	30
3.	हरियाणा	10	5	15
4.	मध्यप्रदेश	16	3	19
5.	दिल्ली	2	4	6
6.	पंजाब	1	3	4
7.	छत्तीसगढ़	2	-	2
8.	झारखण्ड	3	2	5
9.	उत्तराखण्ड	-	1	1
10.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-
11.	गुजरात	-	1	1
12.	पश्चिम बंगाल	-	1	1
योग		128	36	164

कुल 1961 अभिस्तावित अभ्यर्थियों (राजस्थान के बाहर के 164 अभ्यर्थियों सहित) में से 52.27 प्रतिशत से अधिक अभ्यर्थी अजमेर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, झुंझुनूं, जोधपुर, नागौर एवं सीकर, जिलों के निवासी थे । जयपुर जिले का सर्वाधिक यथा, 15.91 प्रतिशत योगदान रहा ।

उपर्युक्त तालिका से यह तथ्य भी स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जाति के कुल 252 (181 पुरुष + 71 महिला) अभिस्तावित अभ्यर्थियों में से सर्वाधिक 25.40 प्रतिशत जयपुर जिले के निवासी थे तथा अनुसूचित जन जाति के कुल 175 (125 पुरुष + 50 महिला) अभ्यर्थियों में सर्वाधिक 72 प्रतिशत दौसा, जयपुर, अलवर, सवाई माधोपुर एवं करौली जिलों के निवासी थे ।

डूंगरपुर बाँसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही एवं राजसमन्द जिले अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र होते हुए भी इन जिलों से प्रतिनिधित्व या तो नगण्य रहा या किसी जिले से 1 अथवा 2 व्यक्तियों से अधिक चयनित नहीं हुए ।

मुख्य राज्य सेवाओं में जातिगत योगदान का विश्लेषण यह दर्शाता है कि अनुसूचित जाति में बलाई, खटीक, मेघवाल, रैगर, चमार, बैरवा तथा जाटव का लगभग 73.41 प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहा, तथापि अनुसूचित जन जाति के मामले में अधिकांश अभ्यर्थी (92 प्रतिशत) मीणा समुदाय के थे ।

यह निरूपण स्थायी प्रकृति का है तथा अन्य अनुसूचित जातियों/जन जातियों का प्रतियोगिता में सम्मिलित नहीं होने का परिणाम है । यह स्थिति उनके सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन के कारण है, जो कि शैक्षिक एवं अन्य उपलब्धियों में सर्वाधिक बाधक रही है । यही निरूपण पूर्व परीक्षाओं में भी दर्शाया गया है। अतः कुछ एकीकृत क्रियाकलाप की योजनाबद्ध क्रियान्विति की पुनः अभिशंसा की जाती है, जिससे इन विषमताओं के अन्तर को दूर किया जा सके ।

चयन में महिलाओं की स्थिति :- कुल 496 महिला अभ्यर्थी (250-सामान्य, 71-अ.जा., 50-अ.ज.जा., 120-अ.पि.व. एवं 5 वि.पि.व. सहित) भी अभिस्तावित किये गये । निम्नलिखित तालिका में महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध उनके चयन की श्रेणीवार स्थिति दर्शाई गई है :-

श्रेणी	महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पद	अभिस्तावित महिला अभ्यर्थियों की संख्या
सामान्य	124	250
अ.जा.	36	71
अ.ज.जा.	28	50
अ.पि.व.	56	120
वि.पि.व.	1	5
योग :	245	496

विश्वविद्यालयानुसार वर्गीकरण :- निम्नांकित तालिका से यह स्पष्ट होता है कि 1961 अभिस्तावित अभ्यर्थियों में से 1730 (88.22 प्रतिशत) राजस्थान राज्य में स्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों से स्नातक उपाधि धारक थे । अकेले राजस्थान विश्वविद्यालय से यह सर्वाधिक 46.00 प्रतिशत था । अभिस्तावित अभ्यर्थियों में से 231 (11.78 प्रतिशत) अभ्यर्थी अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों से स्नातक उपाधि धारक थे :-

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	श्रेणी			योग
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	
1.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	600	271	31	902
2.	महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	208	192	19	419
3.	ज्यनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	74	77	4	155
4.	मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	67	60	9	136
5.	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	22	4	—	26
6.	वनस्थली विद्यापीठ	9	—	—	9
7.	संस्कृत विश्वविद्यालय	5	—	1	5
8.	बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर	28	20	—	49
9.	एम.पी.यू.ए.टी., उदयपुर	1	—	—	1
10.	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा	15	1	—	25
11.	एम.एन.आई.टी., जयपुर	1	—	—	1
12.	बी.आई.टी.एस., पिलानी	1	1	—	2
योग : (राजस्थान)		1031	635	64	1730
राजस्थान के बाहर के विश्वविद्यालयों के		160	60	11	231
सर्वयोग :		1191	695	75	1961

शैक्षिक स्तर :- 1961 अभिस्तावित अभ्यर्थियों में से, 1191, 695 एवं 75 अभ्यर्थी क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी में स्नातक उपाधि धारक थे। जिन अभ्यर्थियों का शैक्षणिक अभिलेख विद्यालय स्तर पर अच्छा था, उन्होंने अपने स्तर को बनाए रखा।

इन अभ्यर्थियों के शैक्षिक स्तर के विश्लेषण से यह तथ्य दृष्टिगोचर होता है कि सर्वाधिक 1509 (85.69 प्रतिशत) अभ्यर्थी अधिस्नातक थे। स्नातक उपाधि धारक एवं अधिस्नातक की अतिरिक्त योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों का तुलनात्मक निष्पादन निम्नांकित तालिका में दर्शाया गया है :-

स्नातक उपाधि धारक अभ्यर्थी

श्रेणी	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	योग
अभ्यर्थियों की संख्या	1191	695	75	1961

अधिस्नातक उपाधि धारक अभ्यर्थियों का स्नातक स्तर पर निष्पादन

श्रेणी / संख्या	स्नातक स्तर पर निष्पादन	अधिस्नातक स्तर पर निष्पादन		
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय
प्रथम	907	585	304	18
द्वितीय	564	173	363	28
तृतीय	38	7	24	7
योग :	1509	765	691	53

कतिपय अभ्यर्थी निम्न वर्णनानुसार अतिरिक्त योग्यता धारक भी थे :-

क्र. सं.	पाठ्यक्रम	संख्या	क्र. सं.	पाठ्यक्रम	संख्या
1.	एम.बी.बी.एस. / बी.डी.एस.	5	4.	एम.फिल.	163
2.	एल.एल.बी. / एल.एल.एम.	56	5.	बी.एड.	870
3.	पीएच.डी.	76	6.	एम.एड.	15

7.	एम.बी.ए.	18	9.	डिप्लोमा कोर्सेज	58
8.	स्लेट/नेट/जे.आर.एफ.	769	10.	सी.ए./सी.ए.एस./आई.सी.डब्ल्यू.ए.	3

संकाय परिवर्तन :- संकाय परिवर्तन यथा, स्नातकोत्तर स्तर पर एक संकाय से दूसरे संकाय को ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी कतिपय अभ्यर्थियों में देखी गई । इनका विवरण निम्नानुसार है :-

		संख्या
1.	विज्ञान स्नातकों द्वारा स्नातकोत्तर में कला संकाय ग्रहण करने वाले अभ्यर्थी	218
2.	वाणिज्य स्नातकों द्वारा स्नातकोत्तर में कला संकाय ग्रहण करने वाले अभ्यर्थी	17
3.	कला स्नातकों द्वारा एम.एस.सी. (कम्प्यूटर/आई.टी.) करने वाले अभ्यर्थी	—
4.	बी.ई./बी.टेक. से एम.ए. करने वाले अभ्यर्थी	5

एक संकाय से दूसरे संकाय में परिवर्तन का चाहे कोई भी कारण रहा हो, किन्तु ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐच्छिक विषयों के चयन का विस्तृत क्षेत्र मिल जाने से वे निश्चित रूप से लाभप्रद स्थिति में रहते हैं ।

उन ऐच्छिक विषयों को ग्रहण करना, जिनका अध्ययन स्नातक स्तर पर नहीं किया गया :- यह रुचिकर विशेषता विगत वर्षों में आयोजित परीक्षाओं में भी पाई गई थी । 1961 अभिस्तावित अभ्यर्थियों में से अधिकांश ने ऐच्छिक विषयों के समूह में से ऐसे विषयों का चयन किया, जिनका उन्होंने स्नातक स्तर (निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता) पर कभी अध्ययन ही नहीं किया । इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार होती है कि 522 (26.6 प्रतिशत) एवं 461 (23.5 प्रतिशत) अभ्यर्थियों ने (दो ऐच्छिक विषयों में से) क्रमशः एक व दो ऐसे विषय चुने, जिनका उन्होंने स्नातक स्तर पर अध्ययन नहीं किया । इस श्रेणी के अभ्यर्थी सामान्यतः इतिहास, दर्शनशास्त्र, लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान, भूगोल आदि विषय ग्रहण करते हैं । इसका कारण यह प्रतीत होता है कि सम्भवतया इन विषयों का अध्ययन एवं तैयारी सुविधाजनक रहती है । अभ्यर्थियों द्वारा ग्रहण किये गये ऐच्छिक विषयों का विवरण निम्नांकित तालिका में दर्शाया गया है :-

क्र. सं.	ग्रहण किये गये विषय का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या	क्र. सं.	ग्रहण किये गये विषय का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या
1.	कृषि	4	20.	गणित	10
2.	कृषि अभियांत्रिकी	0	21.	यांत्रिकी अभियांत्रिकी	1
3.	पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान	2	22.	खनन अभियांत्रिकी	—
4.	वनस्पति विज्ञान	103	23.	दर्शन शास्त्र	849
5.	रसायन शास्त्र	21	24.	भौतिकी	6
6.	सिविल अभियांत्रिकी	—	25.	राजनीति विज्ञान एवं अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध	480
7.	वाणिज्य एवं लेखाकर्म	16	26.	मनोविज्ञान	60
8.	उद्यान, कृषि के साथ फसल कृषि कार्य	4	27.	लोक प्रशासन	510

9.	कम्प्यूटर अभियांत्रिकी	1	28.	समाज शास्त्र	146
10.	कम्प्यूटर विज्ञान	1	29.	सांख्यिकी	3
11.	दुग्ध प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी	—	30.	प्राणी विज्ञान	102
12.	अर्थशास्त्र	53	31.	मानव विज्ञान	43
13.	विद्युत् अभियांत्रिकी	1	32.	प्रबन्धन	2
14.	इलेक्ट्रॉनिक एवं दूरसंचार अभियांत्रिकी	—	33.	अंग्रेजी	16
15.	भूगोल	402	34.	हिन्दी	158
16.	भू-गर्भ विज्ञान	4	35.	उर्दू	1
17.	गृह विज्ञान	11	36.	संस्कृत	91
18.	इतिहास	792	37.	सिन्धी	1
19.	विधि	30			

कुल अभ्यर्थियों की संख्या — प्रथम प्रश्न-पत्र — 1961
द्वितीय प्रश्न-पत्र — 1961

टिप्पणी :- अभ्यर्थियों द्वारा दो ऐच्छिक विषय ग्रहण किये जाने अपेक्षित हैं । प्रत्येक ऐच्छिक विषय में दो प्रश्न-पत्र सम्मिलित हैं ।

ग्रामीण/शहरी वर्गीकरण :- अभ्यर्थियों की ग्रामीण एवं शहरी पृष्ठ भूमि का वर्गीकरण करना एवं इस रेखा का स्पष्ट विभाजन करना कठिन है । अतएव, विद्यालय शिक्षा ग्रहण करने का स्थान ही इस वर्गीकरण का आधार माना गया है । इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में यह पाया गया है कि 1961 अभिस्तावित अभ्यर्थियों में से 1004 (51.20 प्रतिशत) शहरी तथा 957 (48.80 प्रतिशत) ग्रामीण पृष्ठभूमि के थे ।

सम्भागीय स्तर पर दीर्घकाल से अवस्थित, प्रतिष्ठित एवं वांछित संसाधनों से पूर्ण शिक्षण संस्थाओं का भी इस परीक्षा में उत्कृष्ट निष्पादन में महत्वपूर्ण योगदान रहा ।

नियोजन स्तर :- कुल 1961 अभिस्तावित अभ्यर्थियों में सर्वाधिक 1280 (65.27 प्रतिशत) अभ्यर्थी किसी न किसी स्थिति में शासकीय अथवा निजी संगठनों में सेवारत थे तथा 681 (34.73 प्रतिशत) बेरोजगार नये अभ्यर्थी थे । इससे यह दृष्टिगोचर होता है कि चयन में सेवानुभव का सकारात्मक योगदान रहा है ।

आयु घटक का योगदान :- अभ्यर्थियों के निष्पादन में आयु घटक का भी सकारात्मक योगदान रहा है । लगभग 38.14% अभ्यर्थी 26 से 30 वर्ष आयु समूह के थे ।

आयु समूह (वर्षों में)	अभ्यर्थियों की संख्या	प्रतिशत
21-25	51	2.60
26-30	748	38.14
31-33	490	24.99
34-40	611	31.16
41-45	61	03.11
योग :	1961	

परिशिष्ट

परिशिष्ट – 1

आयोग के कृत्य

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 में उल्लिखित प्रावधान के संदर्भ में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किये जाने वाले कार्य इस प्रकार हैं ।

लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जावेगा—

(क) असैनिक सेवाओं में और असैनिक पदों के लिए भर्ती की रीतियों से सम्बद्ध समस्त विषयों पर;

(ख) असैनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने के तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और स्थानान्तरण करने के तथा अभ्यर्थियों की ऐसी नियुक्ति, पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण की उपयुक्तता के बारे में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धान्तों पर;

(ग) ऐसे व्यक्ति पर, जो राज्य सरकार के अधीन असैनिक हैसियत से सेवा कर रहा है, प्रभाव डालने वाले अनुशासन विषयों से जो अभ्यावेदन या याचिकाएँ सम्बद्ध हैं, उनके सहित समस्त अनुशासनिक विषयों पर;

(घ) ऐसे व्यक्ति द्वारा कृत, जो राज्य सरकार के अधीन असैनिक हैसियत से सेवा कर रहा है या कर चुका है, अथवा वैसे व्यक्ति के सम्बन्ध में कृत, या कर्तुमभिप्रेत, कार्यों के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध चलाई गई किन्हीं विधि-कार्यवाहियों में जो व्यय उसे अपनी प्रतिरक्षा में करना पड़ा है, वह यथा स्थिति राज्य की संचित निधि में से दिया जाना चाहिये, उस दावे पर;

(ङ) राज्य सरकार के अधीन असैनिक हैसियत से सेवा करते समय किसी व्यक्ति को हुई क्षति के बारे में निवृत्ति वेतन दिये जाने के लिए दावे पर तथा ऐसी ही दी जाने वाली राशि क्या हो, इस प्रश्न पर; एवं

(च) अन्य कोई मामला, जो शासन द्वारा संदर्भित किया जावे ।

सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया एवं नियुक्ति दिये जाने के सिद्धान्तों को अपनाए जाने हेतु या इस प्रकार के पदों पर नियुक्ति प्रदान करने या ऐसी नियुक्तियों में अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के मामले में आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है । जब तक सेवा में किसी भी पद की भर्ती के लिये सम्बन्धित सेवा नियमों में प्रावधान निहित है तब ही उस पद पर नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी —

(1) मंत्रालयिक सेवा में या

(2) राजस्थान लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1951 के अनुसार अधीनस्थ सेवा या राज्य सेवा में चाहे तकनीकी या गैर-तकनीकी जिसके प्रारंभिक वेतन के रूप में ग्रेड वेतन 3200/- रूपये प्रतिमाह या उससे कम है ।

.....

परिशिष्ट – 2

आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्य-गण का संक्षिप्त परिचयात्मक विवरण

1. प्रो. बी. एम. शर्मा, : एम.ए., पीएच.डी., एम.बी.ए.

अनुभव –

1973	–	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में राजनीति विज्ञान विभाग में सहायक आचार्य का पदभार ग्रहण किया ।
1984–1987	–	महारानी कॉलेज, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष ।
1987	–	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के राजनीति विज्ञान विभाग में सह आचार्य पद पर चयनित ।
2001–2004	–	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष ।
2002–2009	–	सदस्य, सिंडीकेट एवं सीनेट, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
1994–2004	–	निदेशक, प्रशासनिक सेवा प्री-एण्ट्री ट्रेनिंग सेन्टर, राजसीन विश्वविद्यालय, जयपुर ।
2005–2009	–	निदेशक, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
2008–2012	–	सदस्य, कार्यकारी परिषद, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली ।
2009–2011	–	कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा (अक्टूबर 2009 से 30 जून, 2011) ।

महामहिम राज्यपाल, गुजरात द्वारा दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत एवं कच्छ विश्वविद्यालय, भुज (गुजरात) के कुलपतियों के चयन हेतु गठित सर्च कमेटी के अध्यक्ष ।

पुरस्कार –

1987	–	भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार ।
1991 एवं 95	–	भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल पुरस्कार (दो बार) ।
1998 एवं 2002	–	मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा भीमराव अंबेडकर पुरस्कार (दो बार)

अन्तर्राष्ट्रीय यात्राएँ –

- जापान, अर्जेंटीना, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, बुडापेस्ट (हंगरी), सेन्टियागो (चिली), श्रीलंका, इटली, पोलैंड
- प्रो. शर्मा के मार्गदर्शन में लगभग 52 रिसर्च स्कोलर्स को पीएच.डी. उपाधि प्रदान की गई ।
- भारत सरकार एवं राजनीति, लोक प्रशासन, पुलिस प्रशासन, भारत में लोक प्रशासन एवं लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के क्षेत्र में विशेषज्ञता ।
- लोक प्रशासन, पुलिस प्रशासन, भारत सरकार एवं नीतियां, वैश्वीकरण, निजीकरण, मानवाधिकार, लोकतांत्रिक

विकेन्द्रीकरण, सुराज एवं सिविल सोसाइटी आदि क्षेत्रों पर 30 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित ।

- राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय जरनल्स में विभिन्न विषयों पर 150 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित ।

दिनांक 01.07.2011 (अपराह्न) को राजस्थान लोक सेवा आयोग के माननीय अध्यक्ष के पद का कार्यभार ग्रहण किया ।

2. श्री महेन्द्र लाल कुमावत, आई.पी.एस. (सेवा निवृत्त) : एम.एससी. (वनस्पति शास्त्र)

अनुभव —

- 1970—72 — व्याख्याता (वनस्पति शास्त्र), राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर
- 3 / 1972 — भारतीय वन सेवा में कार्यग्रहण ।
- 7 / 1972 — भारतीय पुलिस सेवा में कार्यग्रहण ।
- 1982—85 — निदेशक, सतर्कता एवं सुरक्षा, आर.एस.ई.बी.
- 1985—88 — पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जयपुर (राजस्थान) ।
- 1991 — पुलिस आयुक्त, विशाखापट्टनम ।
- 1995—2000 — संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, मुंबई
प्रभारी — राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात एवं गोवा ।
- 2000—2005 — मुखिया, सी.आई.डी., आन्ध्र प्रदेश ।
अतिरिक्त महानिदेशक, कानून व्यवस्था ।
अध्यक्ष, राज्य स्तरीय भर्ती बोर्ड ।
- 2005—2006 — अतिरिक्त महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल ।
- 2007—2008 — विशिष्ट सचिव, आंतरिक सुरक्षा, भारत सरकार ।
- 2008—2009 — पुलिस महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल ।

पुरस्कार —

- 1985 — राजस्थान सरकार द्वारा 'मेरिट अवार्ड' - 1985
- 1989 — उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक — 1989
- 1992 — नेशनल डिफेन्स कॉलेज से स्वर्ण पदक — 1992
- 1997 — उत्कृष्ट सेवा के लिये राष्ट्रपति पुलिस पदक — 1997

अन्तर्राष्ट्रीय यात्राएँ — निम्न देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया —

इंग्लेण्ड, अमेरिका, आईवर कॉस्ट, ईरान, तजाकिस्तान, ब्रुनोई, इटली, हंगरी, तुर्की, श्रीलंका, बांग्लादेश, जापान, थाईलेण्ड, हॉगकाँग एवं वियतनाम ।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में अन्य विदेश यात्राएँ —

मिश्र, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, रूस, नेपाल, बेल्जियम, वेटिकन सिटी, नीदरलैण्ड्स एवं सिंगापुर ।

दिनांक 28.02.2009 (अपराह्न) को राजस्थान लोक सेवा आयोग के माननीय अध्यक्ष के पद का कार्यभार ग्रहण किया ।

दिनांक 01.07.2011 (अपराह्न) को राजस्थान लोक सेवा आयोग के माननीय अध्यक्ष के पद से अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हुए ।

3. श्री एच.एल. मीना : बी.ई. (सिविल) एफ. आई. ई. ।

शैक्षणिक योग्यता –

जून, 1972 में, मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, जयपुर (वर्तमान में एम.एन.आई. टी.) से बी.ई. (सिविल) की डिग्री प्राप्त की ।

सेवा विवरण –

- नवम्बर, 1972 – यू.पी. सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ता के पद पर कार्यग्रहण किया ।
- जून, 1973 – राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनोपरान्त सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान में सहायक अभियन्ता के पद पर कार्य ग्रहण किया ।
- मार्च, 1982 – अधिशाषी अभियन्ता के पद पर पदोन्नत हुए ।
- जनवरी, 1994 – अधीक्षण अभियन्ता हुए ।
- योग्यता के आधार पर सितम्बर, 1995 में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता तथा फरवरी, 1997 में मुख्य अभियन्ता के पद पर पदोन्नत हुए ।
- मुख्य अभियन्ता (प्लानिंग एवं मोनिटरिंग), मुख्य अभियन्ता (पथ – II) सार्वजनिक निर्माण विभाग, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, आर.एस.बी.सी.सी. लिमिटेड (वर्तमान में राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड), जयपुर के पद पर कार्य किया ।
- जनवरी, 2000 से अप्रैल, 2007 तक, मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर के पद पर आसीन रहे ।
- माह अप्रैल, 2007 में, शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान के पद पर पदोन्नत हुए तथा माह अप्रैल, 2008 तक शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर के पद पर आसीन रहे ।
- अप्रैल, 2008 में, राजस्थान सरकार ने, राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्य के पद नियुक्ति प्रदान की । वर्तमान में, दिनांक 18 अप्रैल, 2008 से राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर में सदस्य के पद पर निरन्तर कार्यरत हैं ।

व्यावसायिक अनुभव :-

- भवन निर्माण, सड़कों एवं पुलों संबंधी विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों के संचालन का 36 वर्षों का दीर्घानुभव । जिन कतिपय महत्वपूर्ण परियोजनाओं का संचालन किया, वे निम्न प्रकारेण हैं :-

विश्व बैंक की सहायता के अन्तर्गत स्टेट हाईवेज का सुधार-कार्य, राज्य में पार्वती, कालीसिंध, बनास, मोरेल तथा चम्बल नदियों पर पुल एवम् राज्य में आर.ओ.बी. संबंधी निर्माण कार्य ।

- रिकॉर्ड समय में, राजस्थान विधानसभा भवन का नया निर्माण कार्य करवाया, जिसके लिए भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने इस भवन के उद्घाटन समारोह में "स्वाधीनता के पश्चात् का भव्य भवन" बताया ।
- भवनों के निर्माण के साथ-साथ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अन्तर्गत सड़कों के कार्य संचालन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी रहे ।
- यह उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के कार्यों में राजस्थान देश में शीर्ष स्तर पर रहा ।

- नवीन मुख्यमंत्री कार्यालय भवन (सी.एम.ओ.) के साथ-साथ शासन सचिवालय में वाहनों के लिए भूतल पार्किंग का कार्य रिकॉर्ड समय में पूर्ण करवाया ।
- उच्च न्यायालय के नवीन भवन का निर्माण कार्य भी रिकॉर्ड समय में पूर्ण करवाया, जिसके लिए भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश (सी.जे.आई.) ने भवन के उद्घाटन समारोह में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि "यह हाईकोर्ट बिल्डिंग उनके द्वारा अब तक देखे गये सभी हाईकोर्ट भवनों में सबसे उत्कृष्ट है ।"

अन्य उपलब्धियाँ :-

- जनवरी, 1990 के गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर उल्लेखनीय सेवाओं के लिए स्टेट मेरिट सर्टिफिकेट प्रदान किया गया ।
- वर्ष 2002-2004 में दी इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (भारत), राजस्थान राज्य केन्द्र, जयपुर के अध्यक्ष रहे ।
- वर्ष 2003 में, इन्डियन रोड्स काँग्रेस (आई. आर. सी.) के उपाध्यक्ष रहे ।
- इंडियन रोड्स काँग्रेस तथा इन्डियन बिल्डिंग काँग्रेस के आजीवन सदस्य हैं ।
- इंडियन रोड्स काँग्रेस (आर.आर.सी.) की विभिन्न तकनीकी समितियों के सदस्य हैं ।
- वर्ष 1993, 1995, 2001, 2003, 2004, 2005 तथा 2007 में क्रमशः कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैण्ड, जापान, यू.एस.ए., ऑस्ट्रेलिया एवं इण्डोनेशिया में आयोजित सेमिनार में भाग लिया/प्रशिक्षण प्राप्त किया ।
- नवम्बर, 2007 से दिसम्बर, 2008 तक इंडियन रोड्स काँग्रेस (आई.आर.सी.) के अध्यक्ष रहे ।

दिनांक 18.04.2008 को राजस्थान लोक सेवा आयोग में माननीय सदस्य के पद का कार्यभार ग्रहण किया ।

दिनांक 31.01.2012 (अपराहन) को राजस्थान लोक सेवा आयोग के माननीय सदस्य के पद से अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हुए ।

4. **श्री शिवपाल सिंह नांगल :-** बी. कॉम, एलएल.बी. तथा श्रम विधि एवं कार्मिक प्रबन्धन में डिप्लोमा ।

अनुभव :-

- 1 अधिवक्ता (38 वर्ष)
- 2 राजस्थान विश्वविद्यालय (वाणिज्य संकाय), जयपुर में छात्रसंघ अध्यक्ष (कॉमर्स कॉलेज) वर्ष 1973-74 में रहे ।
- 3 अन्तर विश्वविद्यालय वाद-विवाद प्रतियोगिता, मद्रास में वर्ष 1976 में आयोजित के विजेता रहे ।
- 4 संभागीय रेल उपयोग कर्ता सलाहकार समिति के वर्ष 1995-96 में सदस्य रहे ।
- 5 भवानी निकेतन (शिक्षा समिति) शिक्षण संस्थान एवं चैरीटेबल ट्रस्ट, जयपुर में वर्ष 1997-2000 में उपाध्यक्ष तथा वर्ष 2001-2003 में अध्यक्ष रहे ।

विशेष विवरण :-

समाज सेवा, धार्मिक मन्दिर एवं ट्रस्टों के सदस्य, सामाजिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों (गैर सरकारी संगठन) (एन.जी.ओ.) का संचालन किया एवं उनसे सम्बद्ध रहे ।

विदेश यात्रा :-

1	दुबई	2	शारजाह	3	अंजमान
4	यूम-अल-क्यूवेन	5	फ्यूजेयराह	6	इटली
7	मोनाको	8	मोनटेकारलो	9	वैटीकन
10	आस्ट्रिया	11	लेइस्सटेन	12	नीदरलैण्ड्स
13	जर्मनी	14	स्विट्जरलैण्ड	15	बेल्जियम
16	फ्रांस	17	यूनाइटेड किंगडम	18	मकाऊ
19	हांगकांग	20	सिंगापुर	21	मलेशिया
22	श्रीलंका	23	आस्ट्रेलिया	24	न्यूजीलैण्ड
25	थाईलैण्ड (बैंकॉक)				

दिनांक 18.04.2008 को राजस्थान लोक सेवा आयोग में माननीय सदस्य के पद का कार्यभार ग्रहण किया ।

5. श्री कन्हैया लाल, आई.पी.एस. (सेवानिवृत्त) :- एम.कॉम. (लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी)

अनुभव :-

- रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, जयपुर में चार वर्ष तक सेवाएँ प्रदान की ।
- दिसम्बर, 1982 में राजस्थान पुलिस सेवा में कार्यग्रहण किया तथा राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर एवं सवाईमाधोपुर में प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् निम्नलिखित पदों पर पदस्थापित रहे :-

1	सहायक समादेष्टा, आर.ए.सी.	जून, 1985 से जून, 1986
2	उप अधीक्षक, जैसलमेर	जून, 1986 से मई, 1988
3	उप अधीक्षक, जयपुर	मई, 1988 से दिसम्बर, 1989
4	उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, जयपुर	जनवरी, 1990 से दिसम्बर, 1990
5	उप अधीक्षक, अजमेर	जनवरी, 1991 से मार्च, 1993
6	उप अधीक्षक, अलवर	अप्रैल, 1993 से सितम्बर, 1993
7	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. जोन, भरतपुर	अक्टूबर, 1993 से अप्रैल, 1994
8	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीकर	अप्रैल, 1994 से सितम्बर, 1997
9	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जयपुर सिटी	सितम्बर, 1997 से सितम्बर, 1998
10	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बीकानेर	सितम्बर, 1998 से जुलाई, 2000
11	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मालपुरा (टोंक)	जुलाई, 2000 से जून, 2003

12 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीकर	जून, 2003 से अगस्त, 2004
13 सतर्कता आयुक्त, जे.एन.एन., जयपुर	अगस्त, 2004 से फरवरी, 2006
14 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जयपुर (ग्रामीण)	फरवरी, 2006 से मार्च, 2007
<u>दिनांक 24.01.2007 को भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति हुई ।</u>	
15 पुलिस अधीक्षक, बाँसवाड़ा	11.04.2007 से 18.04.2008

पारितोषिक :-

- 1 वर्ष 1988 में, महामहिम राज्यपाल द्वारा गन प्रदान की गई।
- 2 स्वाधीनता दिवस, 2003 के अवसर पर उल्लेखनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 18.04.2008 को राजस्थान लोक सेवा आयोग में माननीय सदस्य के पद का कार्यभार ग्रहण किया ।

6. डॉ. पी. के. दशोरा :- (एम.एससी., पीएच.डी.)

अनुभव -

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर में अध्यापन एवं अनुसंधान का 29 वर्ष का अनुभव ।

रूचिकर विषय :-

डिजाइन ऑफ एक्सपेरीमेन्ट्स, प्रतिदर्श सर्वेक्षण, सांख्यिकीय पद्धतियाँ, साइकोमेट्रिक्स, आर्थिक सांख्यिकी, रिसर्च मेथोडोलोजी ।

प्रशासनिक अनुभव :-

- असिस्टेंट डीन, छात्र कल्याण (ए.डी.एस.डब्ल्यू.) राजस्थान कृषि महाविद्यालय, उदयपुर (जुलाई, 1994 से जनवरी, 1999) ।
- को-ऑर्डिनेटर, प्लेसमेन्ट एण्ड इन्फोर्मेशन ब्यूरो, एम.पी.यू.ए.टी., उदयपुर (अक्टूबर, 2000 से नवम्बर, 2005) ।
- छात्र कल्याण अधिकारी, एम.पी.यू.ए.टी., उदयपुर (अप्रैल, 2004 से नवम्बर, 2005) ।
- चेयरमेन, स्पोर्ट्स बोर्ड, एम.पी.यू.ए.टी., उदयपुर (वर्ष 2004 से जुलाई, 2005) ।
- को-ऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय सेवा योजना, एम.पी.यू.ए.टी, उदयपुर (अप्रैल, 2004 से नवम्बर, 2005) ।
- विदेशी छात्रों के सलाहकार, एम.पी.यू.ए.टी., उदयपुर (वर्ष 2007 से जुलाई, 2008) ।
- यूनिवर्सिटी हैड, एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स एण्ड कम्प्यूटर एप्लीकेशन विभाग, आर.सी.ए. एम.पी.यू.ए.टी., उदयपुर (जनवरी, 2004 से जुलाई, 2008) ।
- विश्वविद्यालय पेन्शन, पी.एफ., विश्वविद्यालय आवास आवंटन, विश्वविद्यालय नियम संरचना समितियों के सदस्य रहे ।
- राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा गठित विभिन्न समितियों के कन्वीनर/सदस्य रहे ।
- राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा गठित विभिन्न समितियों के कन्वीनर/सदस्य रहे ।

- वार्डन, विवेकानन्द, पी.जी. होस्टल, राजस्थान कृषि महाविद्यालय, उदयपुर (मई, 1992 से जुलाई, 1994) ।

प्रकाशन :-

• अनुसंधान पत्रक	:	67
• एब्ट्रेक्ट्स	:	98
• तकनीकी / अन्य लेख	:	10
• रेडियो प्रसारण	:	10
• पुस्तकें सम्पादित की	:	03
• विभिन्न पत्रिकाओं के सम्पादक रहे	:	09
(मुख्य सम्पादक, विश्वविद्यालय मेगेजिन 01, मुख्य सम्पादक, वार्षिक न्यूजलेटर—आर.सी.ई.ए.एम. 01, सदस्य, सम्पादक मण्डल, कॉलेज मेगेजीन 07)		
• सम्पादक रिसर्च जरनल	:	01
(प्रसारिका – जरनल ऑफ राजस्थान सोसायटी ऑफ एक्टेन्शन एज्युकेशन, 2004–2009)		
• सम्पादक (लेक्चर नोट्स)	:	01
(विन्टर स्कूल ऑन एडवान्सेज इन डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स)		
• टीचिंग / रेफरेन्सेज मेन्युअल्स	:	02
(स्टेटिस्टिकल मेथड्स 0.01, तथा आर्थिक—सांख्यिकी 01)		
• विशेष व्याख्यान	:	25
• ग्रीष्म एवं शरद स्कूल में उपस्थिति	:	04

एम.एससी./पीएच.डी. सलाहकार :-

(क)	मेजर एडवाइजर		
	(1) पीएच.डी. (सांख्यिकी)	:	01
	(2) विपणन प्रबन्धन में डिप्लोमा	:	18
(ख)	सदस्य सलाहकार समिति		
	(1) पीएच.डी. (कृषि) / पीएच.डी. (कृषि अभियांत्रिकी) / पीएच.डी. (गृह विज्ञान)	:	450 (अनुमानित)
	(2) एम.एससी. (कृषि) / (कृषि अभियांत्रिकी) / (गृह विज्ञान)	:	650 (अनुमानित)

पुरस्कार एवं सम्मान :-

अन्तरराष्ट्रीय पुरस्कार : इन्टरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एज्युकेशन फॉर वर्ल्ड पीस (आई.ए.ई.डब्ल्यू.पी.), यू.एस.ए., कॉमनवेल्थ ट्रेडिंग फॉर एडल्ट्स (सी.ए.इ.टी.ए.), यू.के. द्वारा इन्टरनेशनल फेलिसिटेशन एण्ड इन्टरनेशनल अवार्ड इन हॉलिस्टिक डेवेलपमेंट ऑफ यूथ एण्ड एज्युकेशनल लीडरशिप । दिनांक 10 फरवरी, 2003, को ब्रुनो ग्रोनिंग स्कूलिंग एण्ड सेमिनार ऑन इन्टरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर, 2003, यू.एन.ओ. 2003 के अवसर पर ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी मिलान एण्ड सर्किल फॉर स्पिरिट्युअल एड टू लाइफ इन्डिया, गाँधीनगर (गुजरात) द्वारा अवार्ड प्रदान किया गया ।

राष्ट्रीय पुरस्कार :-

- 1 **फेलोशिप अवार्ड** – राजस्थान कौंसिल ऑफ एज्युकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड मैनेजमेन्ट (कॉमनवेल्थ कौंसिल ऑफ एज्युकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड मैनेजमेन्ट से सम्बद्ध) ।
- 2 **एपीशिएशन अवार्ड** – कॉमलवैल्थ यूथ प्रोग्राम एशिया सेन्टर, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया एण्ड एन.एस.एस. यूनिट राजस्थान फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रिब्यूशन इन ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप फॉर एशिया रीजन ।
- 3 इण्डियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एण्ड डेवेलपमेन्ट, उदयपुर – चेप्टर अवार्ड फॉर एन्हांसिंग एकेडेमिक एक्सीलेंस इन यूथ ऑन 19 मार्च, 2004 ।
- 4 दिनांक 01.05.2004 को, भारतीय शिक्षण मण्डल, उदयपुर द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पब्लिक फेलिसिटेशन पुरस्कार ।
- 5 वर्ष 2002, 2003 एवं 2004 में गणतंत्र दिवस समारोह पर माननीय वाइस चांसलर, एम. पी.यू. ए. टी, उदयपुर द्वारा उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए गए ।
- 6 वर्ष 2002 में राजभाषा हिन्दी सप्ताह के अन्तर्गत आयोजित गतिविधियों में उल्लेखनीय योगदान के लिए माननीय वाइस चांसलर, एम.पी.यू.ए.टी, उदयपुर द्वारा उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रशस्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए ।
- 7 वर्ष 2003 में, एम.पी.यू.ए.टी., उदयपुर में, हिन्दी रिसर्च पोस्टर के प्रस्तुतिकरण के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया ।
- 8 आई.सी.एन., मुरादाबाद (यू.पी.), 1993 द्वारा क्लिनिकल न्यूट्रीशन पर आयोजित चतुर्थ विश्व काँग्रेस की सेटेलाइट मीटिंग में सुब्बाराव मेमोरियल अवार्ड, 1993 के लिए विचार किए गए पेपर के सह सम्पादक रहे ।
- 9 वर्ष 1995 में बम्बई में आयोजित न्यूट्रीशन सोसाइटी ऑफ इण्डिया की 28वीं वार्षिक मीटिंग में सामुदायिक पोषाहार पर जूनियर अवार्ड के लिए विचार किए गए पेपर के सह सम्पादक रहे ।

महत्वपूर्ण पदों पर कार्य सम्पादन :-

- सदस्य – अधिशाषी निकाय, भारतीय कृषि सांख्यिकीय सोसाइटी (1999–2000)
- संयुक्त सचिव – भारतीय प्रशिक्षण एवं विकास सोसाइटी (चेप्टर 2000), उदयपुर
- सचिव – भारतीय शिक्षा प्रचार समिति, उदयपुर (एक गैर सरकारी संगठन, जो उदयपुर सम्भाग में 80 स्कूलें संचालित कर रहा है) ।
- सदस्य – राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर ।
- तीन वर्ष यथा 2005, 2006 तथा 2008 के लिए, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में शिक्षकों एवं अधिकारियों के चयन हेतु गठित चयन समिति में राजस्थान सरकार के मनोनीत सदस्य रहे ।
- सदस्य – अकादमी परिषद्, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा ।
- सदस्य – श्रमिक शिक्षा मंडल (श्रम मंत्रालय, भारत सरकार) क्षेत्रीय समिति, उदयपुर ।
- सदस्य – विकास समिति, राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर ।

- सदस्य – विकास समिति, राजकीय मीरा छात्रा महाविद्यालय, उदयपुर ।
- सदस्य – प्रबन्धन मंडल, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा ।
- वर्ष 2008 के लिए, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में शिक्षकों एवं अधिकारियों के चयन हेतु गठित चयन समिति में राजस्थान सरकार के मनोनीत सदस्य रहे ।

वैज्ञानिक/व्यावसायिक समितियों की सदस्यता :-

- 1 आजीवन सदस्य – भारतीय प्रशिक्षण एवं विकास समिति ।
- 2 आजीवन सदस्य – कृषि सांख्यिकी समिति ।
- 3 आजीवन सदस्य – भारतीय चिकित्सा सांख्यिकी समिति ।
- 4 आजीवन सदस्य – राजस्थान शिक्षा विस्तार समिति ।
- 5 आजीवन सदस्य – कम्प्यूटर तथा एप्लीकेशन्स सांख्यिकी समिति ।
- 6 आजीवन सदस्य – ग्रामीण विकास एवं पुनर्निर्माण गतिविधियों के संस्थापक ।
- 7 आजीवन सदस्य – विद्या भारती (अखिल भारतीय शैक्षणिक समिति) ।
- 8 आजीवन सदस्य – भारतीय शिक्षा प्रसार समिति, उदयपुर ।
- 9 आजीवन सदस्य – राजस्थान शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबन्धन परिषद ।
- 10 आजीवन सदस्य – व्यावहारिक सांख्यिकी एवं कम्प्यूटर समिति, हिसार ।

व्यावसायिक निकायों के पदाधिकारी :-

- संयुक्त सचिव – ग्रामीण विकास एवं पुनर्निर्माण गतिविधियाँ (वर्ष 1998 से 2004) ।
- उपाध्यक्ष – ग्रामीण विकास एवं पुनर्निर्माण गतिविधियाँ (वर्ष 2004 से निरन्तर)
- संयुक्त सचिव – राजस्थान शैक्षणिक प्रशासन एवं प्रबंधन परिषद्, राजस्थान (वर्ष 2004 से) ।
- सचिव – कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर शिक्षक संघ (वर्ष 2000–2008) ।
- अधिशाषी सदस्य – भारतीय कृषि सांख्यिकी समिति, नई दिल्ली (वर्ष 1999 से 2002) ।
- सदस्य, अधिशाषी समिति – सांख्यिकी, कम्प्यूटर एवं एप्लीकेशन सोसायटी, नई दिल्ली (वर्ष 2003 एवं 2004) ।
- सदस्य, अधिशाषी समिति – व्यावहारिक सांख्यिकी एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन, हिसार (वर्ष 2007–2008) ।

शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार करने में भागीदारी :-

- एम.एल. सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर तथा एम.पी.यू.ए.टी., उदयपुर के लिए सांख्यिकी में अध्ययन मंडल/ पाठ्यक्रम समितियों के सदस्य के रूप में कार्य किया ।
-
- सामाजिक विज्ञानों के लिए साइकोमेट्रिक्स एण्ड सेम्पलिंग टेक्निक्स नामक शीर्षक से अधि स्नातक पाठ्यक्रम विकसित किया ।
-
- छात्रों के व्यक्तित्व विकास हेतु व्याख्यान मालाएँ विकसित की ।

छात्र गतिविधियों में वृहद् योगदान :-

- मैनेजर – वर्ष 1987 के दौरान आयोजित पश्चिम क्षेत्र अन्तर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव के लिए राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय टीम ।
- अन्तरविश्वविद्यालय युवा महोत्सवों के आयोजन में सक्रिय रहे ।
- को-ऑर्डिनेटर – वर्ष 1999 में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर में आयोजित एन.एस.एस. के राष्ट्रीय एकता केम्प ।
- कन्वीनर – वर्ष 1998-99 से 2003-04 तक, एम.पी.यू.ए.टी., उदयपुर में आयोजित युवा संसद प्रतियोगिता ।
- को-ऑर्डिनेटर – वर्ष 1997 में, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस पर राज्य स्तरीय क्विज़ प्रतियोगिता ।
- राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर में प्रकृति क्लब स्थापित किया, जिससे छात्रों को विभिन्न प्रकार के कैरियर्स एवं व्यक्तित्व विकास की गतिविधियों के लिए मंच उपलब्ध कराया ।
- को-ऑर्डिनेटर – क्षेत्र की काँग्रेस घास के उन्मूलन हेतु राजस्थान कृषि महाविद्यालय, उदयपुर की एन.एस.एस. इकाई द्वारा, प्रारम्भ किए गए सामुहिक जन जागरण कार्यक्रम ।
- कन्वीनर – एम.पी.ए.यू.टी., उदयपुर द्वारा आयोजित एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित, अखिल भारतीय अन्तरराज्यीय कृषि विश्वविद्यालय युवा महोत्सव (एग्रीयूनिफेस्ट – 2004) ।
- को-ऑर्डिनेटर – युवा संसद प्रतियोगिता, 2006, जिसमें एम.पी.यू.ए.टी. की टीम राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम रही ।

दिनांक 04.07.2008 को राजस्थान लोक सेवा आयोग में माननीय सदस्य के पद का कार्यभार ग्रहण किया ।

7. श्री ब्रह्मसिंह गुर्जर :- (बी.कॉम., एलएल.बी.)

अनुभव –

- वरिष्ठ अभिभाषक, राजस्थान उच्च न्यायालय (1977 – 2008) ।
- महासचिव, अभिभाषक संघ, गंगापुरसिटी (1984-85) ।
- विधि परामर्शी, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, करौली (1985 – 2007) ।
- सदस्य, परामर्शी बोर्ड, आर.सी.सी. ।
- राज्य सदस्य एवं परामर्शदाता, भारतीय किसान संघ, राजस्थान (गैर राजनीतिक संघ) (1984 – 1992) ।
- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, गंगापुर सिटी (जिला सवाई माधोपुर) (1998 – 99) ।
- प्रदेश मंत्री, भारतीय जनता पार्टी (किसान मोर्चा) ।
- सदस्य, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, भारतीय जनता पार्टी (किसान मोर्चा) ।
- महामहिम राज्यपाल, हरियाणा द्वारा चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा के कुलपति के चयन हेतु गठित चयन समिति हेतु मनोनीत ।

8. डॉ. हबीब खान गौराण :- (एम. एस.सी., पी.एच.डी.)

डॉ. हबीब खान गौराण का जन्म 15 अगस्त, 1957 को कस्बा डीडवाना जिला नागौर में स्व. श्री भँवर खान जी के घर में हुआ था । प्रारम्भ से ही कुशाग्र बुद्धि के बल पर हर कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करते रहे । आपने स्नातक उपाधि राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, डीडवाना से प्राप्त कर स्नातकोत्तर उपाधि एम.एस.सी. (भूगर्भ शास्त्र), उदयपुर से गोल्ड मेडल के साथ प्राप्त की । आपका वर्ष 1979 में राजस्थान विश्वविद्यालय में सह आचार्य के पद पर चयन हुआ एवं आपने लगभग 4 वर्ष तक वहाँ अध्यापन कार्य किया ।

वर्ष 1982 में आपका चयन राजस्थान पुलिस सेवा में हुआ एवं आधारभूत प्रशिक्षण के दौरान वर्ष 1983 में सर्वोत्तम केडेट का पुरस्कार (स्वॉर्ड ऑफ ऑनर) प्राप्त किया ।

आपने अपने 30 वर्ष के सेवा काल में उप अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक के पदों की जिम्मेदारी अति उत्तमता से निभाते हुए अत्यन्त सहनशील, कर्मठ एवं निष्ठावान पुलिस अधिकारी का परिचय दिया । इनके अत्यन्त सराहनीय कार्यों के फलस्वरूप विभिन्न पुलिस अधिकारियों द्वारा 200 से अधिक ईनाम मिले एवं 03 बार इन्हें जिला प्रशासन द्वारा स्वतंत्रता दिवस 1988, स्वतंत्रता दिवस 1993 एवं गणतंत्र दिवस 1994 को पुरस्कृत किया गया ।

डॉ. गौराण उच्चतम श्रेणी के अनुसंधानकर्ता हैं । इन्होंने कई हत्याओं, डकैतियों, लूट एवं चोरियों की वारदातों का पर्दाफाश किया । राजधानी जयपुर में घटित तिब्बती लड़की से बलात्कार प्रकरण को सुलझाकर पुलिस विभाग को गौरवान्वित किया । इनके द्वारा किये गये अनुसंधान कार्यों से बहुत से अपराधियों को आजीवन कारावास की सजायें हुई हैं ।

बगरू थाने के इलाके में 52 लाख की सिगरेट डकैती काण्ड में डाकुओं का पता लगाकर डाकुओं को गिरफ्तार किया । इनके इस असाधारण कार्य पर राज्य सरकार ने इन्हें शौर्य की प्रतीक 12 बोर गन एवं प्रशंसा पत्र से पुरस्कृत किया ।

आपने साम्प्रदायिक सौहार्द एवं सामंजस्य बनाये रखने में अभूतपूर्व योगदान दिया । पाली, जोधपुर, जयपुर, चूरू, बूंदी एवं बीकानेर में विभिन्न साम्प्रदायिक घटनाओं में सकारात्मक भूमिका निभाई जिससे शांति स्थापित हुई ।

डॉ. गौराण एक कर्मठ, निष्पक्ष, निष्ठावान एवं अति उत्तम श्रेणी के पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने विभिन्न कार्यों में अपनी निष्ठा, निष्पक्षता एवं क्षमता का परिचय दिया है । इनकी इन उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के फलस्वरूप गणतंत्र दिवस 2001 पर इन्हें राष्ट्रपति के पुलिस पदक से सम्मानित किया गया ।

डॉ. गौरान वर्ष 2009 में भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नत हुए । उन्होंने पुलिस अधीक्षक जी.आर.पी. जोधपुर, बूंदी व बीकानेर जिले के पदों का निर्वहन किया । में रहकर सराहनीय कार्य किये । इनकी छवि एक लोकप्रिय, पारदर्शी एवं कुशल पुलिस अधिकारी की रही है ।

माह नवम्बर, 2011 में इन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग का माननीय सदस्य नियुक्त किया गया ।

दिनांक 19.11.2011 को राजस्थान लोक सेवा आयोग में माननीय सदस्य के पद का कार्यभार ग्रहण किया ।

9. श्रीमती दिव्या सिंह :- बी.ए. (अंग्रेजी साहित्य)

जन्म दिनांक – 6 नवम्बर, 1962

अनुभव –

- सदस्य, लोकसभा (मई 1996 से 1998)
- सदस्य, राजस्थान विधानसभा (मई, 2006 से मई 2008) ।
- अध्यक्ष, राजस्थान अधीनस्थ सेवाएं भर्ती बोर्ड (अक्टूबर 2008 से 2009)।

दिनांक 30.11.2011 को राजस्थान लोक सेवा आयोग में माननीय सदस्य के पद का कार्यभार ग्रहण किया ।

परिशिष्ट – 3(क)

(क) आयोग के निवर्तमान माननीय अध्यक्ष-गण की सूची

क्र.सं.	नाम	पदावधि	
		से	तक
1	सर एस. के. घोष, मुख्य न्यायाधीश	01.04.49	25.01.50
2	श्री एस. सी. त्रिपाठी	28.07.50	07.08.51
3	श्री डी. एस. तिवाड़ी	08.08.51	20.01.58
4	श्री एम. एम. वर्मा	20.01.58	03.12.58
5	श्री एल. एल. जोशी, आई.ए.एस.	04.12.58	31.07.60
6	श्री वी. वी. नार्लिकर	01.08.60	31.07.66
7	श्री बी. एल. रावत, आई.ए.एस. (कार्यभार वहन किया)	27.04.66	31.07.66
8	श्री रामचन्द्र चौधरी, आर.एच.जे.एस.	08.02.67	09.10.71
9	श्री बी. डी. माथुर	09.10.71	23.06.73
10	श्री आर. एस. कपूर	24.06.73	10.06.75
11	श्री मोहम्मद याकूब, आर.एच.जे.एस.	27.06.75	30.06.79
12	श्री रामसिंह चौहान, आई.ए.एस.	30.06.79	10.09.80
13	श्री हरिदत्त गुप्ता	10.09.80	09.06.83
14	श्री एस. अड़वियप्पा	10.06.83	26.03.85
15	डॉ० दीन दयाल चौहान	26.03.85	07.11.85
16	श्री जे. एम. खान, आई.ए.एस.	07.11.85	27.11.89
17	श्री सुगनचन्द सिंगारिया (कार्यवाहक)	27.11.89	05.09.90
18	श्री यतीन्द्र सिंह, आई.ए.एस.	05.09.90	06.10.95
19	श्री हनुमान प्रसाद, आई.ए.एस.	06.10.95	30.09.97
20	श्री पी. एस. यादव, आई.पी.एस.	30.09.97	06.11.97
21	श्री देवेन्द्र सिंह, आई.पी.एस.	06.11.97	30.12.00
22	श्री एन. के. बैरवा, आई.ए.एस.	31.12.00	22.03.04
23	श्री जी.एस. टॉक	15.07.04	04.07.06
24	श्री एच.एन.मीणा, आई.पी.एस. (सेवानिवृत्त) (कार्यवाहक)	04.07.06	19.09.06
25	श्री सी.आर. चौधरी	23.02.08	28.02.10
26.	श्री एम.एल. कुमावत, आई.पी.एस.(सेवानिवृत्त)	28.02.09	01.07.11

परिशिष्ट – 3(ख)

(ख) आयोग के निवर्तमान माननीय सदस्य—गण की सूची

क्र.सं.	नाम	पदावधि	
		से	तक
1	श्री डी. एस. तिवाड़ी	26.01.50	07.08.51
2	श्री एन. आर. चन्दोरकर	26.01.50	31.12.50
3	श्री वी. आर. अडिगे	17.02.51	16.02.57
4	श्री मदन मोहन वर्मा	28.06.52	20.01.58
5	श्री एल. एल. जोशी, आई.ए.एस.	01.03.57 एवं 01.08.60	31.12.58 20.11.61
6	श्री रघुकुल तिलक, वाइस चांसलर	04.02.58	07.01.60
7	श्री एस. एल. आहुजा, आई.ए.एस.	01.12.59	17.11.64
8	श्री श्याम लाल, आई.ए.एस.	17.04.61	15.04.66
9	श्री बी. एल. रावत, आई.ए.एस.	04.09.61	04.09.66
10	श्री रामचन्द्र चौधरी, आर.एच.जे.एस.	20.03.65	07.02.67
11	श्री आर. एन. हावा, आई.ए.एस.	27.07.66	19.07.70
12	श्री एस. डी. उज्वल, आई.ए.एस.	31.05.67	05.01.70
13	श्री शिव शंकर, आई.ए.एस.	29.07.67	10.09.70
14	श्री बी. डी. माथुर	11.11.68	08.10.71
15	श्री विष्णुदत्त शर्मा, आई.ए.एस.	11.06.70	06.03.73
16	श्री आर. एस. कपूर	11.06.70	24.06.73
17	श्री धूलेश्वर मीणा, भूतपूर्व सांसद	01.01.72	02.01.78
18	श्री मोहम्मद याकूब, आर.एच.जे.एस.	07.08.72	26.06.75
19	श्री धर्मेन्द्र हांडा, आई.ए.एस.	05.04.73	10.12.74
20	श्री नाथूलाल जैन, भूतपूर्व सभापति, राजस्थान विधान-सभा	27.07.74	03.10.79
21	श्री हरिदत्त गुप्ता	26.04.75	10.09.80
22	श्री रामसिंह चौहान, आई.ए.एस.	30.03.77	30.06.79
23	श्री एस. अडवियप्पा	12.09.79	09.06.83
24	डॉ० दीनदयाल चौहान	11.11.79	26.03.85
25	श्री जे. एम. खान, आई.ए.एस.	06.11.82	07.11.85
26	श्री भवानीमल, आई.पी.एस.	04.07.84	27.06.88
27	डॉ० दूल सिंह	06.07.84	22.09.86
28	डॉ० डी. एस. सारस्वत	16.12.85	22.01.88
29	श्री सुगनचंद सिंगारिया	28.05.86 एवं 05.09.90	26.11.89 27.05.92
30	श्री सुभाष चन्द्र टंडन, आई.पी.एस.	01.12.87	06.11.91
31	प्रोफेसर के. एल. कमल	16.09.88	11.09.92
32	डॉ० ज्ञानप्रकाश पिलानिया, आई.पी.एस.	22.12.89	17.02.94
33	श्रीमती कान्ता कथूरिया, भूतपूर्व सदस्य, (राज. विधान सभा)	22.12.89	23.05.95 (त्याग-पत्र दिया)
34	श्री हनुमान प्रसाद, आई.ए.एस.	31.10.92	06.10.95
35	श्री पी. एस. यादव, आई.पी.एस.	28.07.93	30.09.97

क्र.सं.	नाम	पदावधि	
		से	तक
36	श्रीमती कमला भील, भूतपूर्व राज्यमंत्री, (राज. विधान सभा)	28.07.93	27.07.99
37	श्री शंकर सिंह सोलंकी	03.04.95	05.08.00
38	डॉ० (श्रीमती) प्रकाशवती शर्मा	18.01.96	18.01.02
39	श्री ओमप्रकाश गुप्ता, भूतपूर्व मुख्य सचेतक (राज. वि. स.)	26.12.97	04.06.03
40	श्री दलीप सिंह	27.12.97	30.06.99
41	श्री एम. एल. परिहार	14.12.99	14.03.01
42	डॉ. एस.एस.टाक	10.11.99	09.11.05
43	प्रो. (डॉ.) एच.ए.एस. जाफरी	01.02.01	18.06.06
44	श्री एच.एन.मीणा, (आई.पी.एस. सेवानिवृत्त)	25.02.02	04.07.06
45	श्री विनोद बिहारी शर्मा	25.08.03	06.02.08
46	श्री सी.आर. चौधरी	27.02.02	22.02.08
47	श्री एच.एल. मीना	18.04.08	31.01.12

परिशिष्ट- 4 (क)

आयोग-सचिवालय के अधिकारी / कर्मचारी

क्र. सं.	पद नाम	पदों की संख्या	
		1-4-2011	31-3-2012

1. राजपत्रित

1	सचिव	1	1
2	विधि परामर्शी	1	1
3	उप सचिव (आर.ए.एस.)	1	1
4	उप सचिव	2	2
5	उप सचिव (परीक्षा)	1	1
6	परीक्षा - नियंत्रक (उप सचिव)	1	1
7	सिस्टम एनालिस्ट	1	1
8	वरिष्ठ लेखाधिकारी	-	1
9	सदस्य-सचिव (व्याख्याताओं हेतु राज्य पात्रता-परीक्षा)	1	1
10	सहायक सचिव	10	10
11	निजी सचिव	6	6
12	अनुभाग अधिकारी	20	20
13	सहायक लेखाधिकारी	1	1
14	वरिष्ठ निजी सहायक	1	1
15	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	1
	योग:	48	49

2. अराजपत्रित

1	प्रोग्रामर	1	1
2	निजी सहायक	3	3
3	लेखाकार	2	2
4	कनिष्ठ लेखाकार	4	4
5	विधि सहायक	2	2
6	अन्वेषक	1	1

7	अनुसंधान सहायक	1	1
8	सांख्यिकीय निरीक्षक	1	1
9	सहायक अनुभाग अधिकारी	24	34
10	भण्डारपाल (विशेष वेतन प्राप्त वरिष्ठ लिपिक)	1	1
11	वरिष्ठ लिपिक	52	52
12.	सूचना सहायक	2	6
13.	कनिष्ठ लिपिक	36	46
14.	वाहनचालक	7	7
15.	सूचीकार	1	1
16.	मशीनमैन	2	2
	योग:	144	164

3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

1	जमादार	5	5
2	दफ्तरी	3	3
3	बुक लिपटर	1	1
4	बन्डल लिपटर	1	1
5	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी- (साइकिल सवार, फर्शा, द्वारपाल, सफाई कर्मचारी)	31	31
6	वेटर	1	1
7	चौकीदार	1	1
	योग:	43	43

4. संविदा आधार पर

1.	ई.पी.ए.बी.एक्स ऑपरेटर	1	1
2.	जेनरेटर ऑपरेटर	1	1
3.	इलेक्ट्रिशियन	1	1
4.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	5	5
	योग:	8	8

परिशिष्ट – 4 (ख)
वर्ष 2007–2008 से 2011–2012 तक सम्पादित कार्य का
तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	मद	वर्ष				
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	साक्षात्कार के साथ अथवा बिना साक्षात्कार के परीक्षा द्वारा भर्ती:					
	(1) आयोजित परीक्षाएँ (प्रथम/द्वितीय चरण)	3	6	9	15	20
	(2) वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन-पत्र	741615	1742862	62118	1047404	1752898
	(4) परीक्षा में प्रवेश दिये गये अभ्यर्थी	741607	1085575	380290	914577	1329028
	(5) परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थी	331272	830836	281308	719762	852995
	(6) साक्षात्कार लिये गये अभ्यर्थी	238	915	2903	1621	2376
	(7) साक्षात्कार या बिना साक्षात्कार के चयनित अभ्यर्थी	29081	1207	7388	5412	8212
2	साक्षात्कार द्वारा भर्ती :					
	(क) आयोजित संवीक्षा परीक्षाओं की संख्या	42	35	20	07	46
	(ख) अर्थनाएँ प्राप्त/निस्तारित	83	146	108	109	28
	(ग) वर्ष के दौरान विज्ञापित पद	85	1862	547	1233	898
	(घ) पद जिनके लिए भर्ती पूर्ण की गई	656	1238	842	2862	981
	(ङ) आवेदकों की संख्या	22753	145581	21571	118379	33814
	(च) साक्षात्कार लिये गये अभ्यर्थी	1737	2611+2*	3098	9333	2506
	(छ) चयनित अभ्यर्थी	625	1082+1*	838	2766	880
	(ज) सुरक्षित सूचियों में से अभिस्तावित अभ्यर्थी	18	54	32	477	4
	(झ) आयोजित राज्य स्तरीय व्याख्याता-पात्रता परीक्षा (विषयों की संख्या)	-	-	24	-	-
3	विविध :					
	(1) पदोन्नति (विभागीय पदोन्नति समितियों)	298 (3830 व्यक्ति सम्मिलित)	300 (4047 व्यक्ति सम्मिलित)	312 (5345 व्यक्ति सम्मिलित)	215 (3492 व्यक्ति सम्मिलित)	20 (276 व्यक्ति सम्मिलित)
	(2) अस्थायी नियुक्तियों का नियमन	22	136	54	24	258
	(3) अनुशासनिक मामले और अपीलें(आयोग द्वारा परामर्श दिया गया)	42	42	48	85	49
	(4) नियमावलियों/अनुसूचियों के संशोधन, जिन पर विचार किया गया	163	225	196	153	192
	(5) याचिका सम्बन्धी मामले-					
	(क) प्राप्त हुए/लम्बित	2827	2627	2131	3094	2657
	(ख) न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा निपटाये गये	773	496	441	570	1411
	(6) आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं से विवर्जित अभ्यर्थी	-	154	132	-	-
	(7) कार्याशालाएँ आयोजित	24	46	11	26	74
	(8) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई सूचनाएँ					
	(अ) प्राप्त/लम्बित प्रार्थना-पत्र	912	758	1382	3225	5806
	(ब) आयोग द्वारा निस्तारण	749	687	1341	2434	5536

*न्यायालय के आदेशानुसार ।

परिशिष्ट- 5

वर्ष 2010-2011 एवं 2011-2012 के अन्तर्गत हुई आय एवं व्यय का विवरण

(क) आय

क्र. सं.	आय के स्रोत	राशि (लाख रु. में) (वर्ष 2011-2012)	राशि (लाख रु. में) (वर्ष 2010-2011)
1.	फीस	2522.00	970.80
2.	अन्य आय	52.00	647.20
	योग:	2574.00	1618.00

(ख) व्यय

क्र.सं.	मद	राशि (लाख रु. में) (वर्ष 2011-2012)	राशि (लाख रु. में) (वर्ष 2010-2011)
1.	वेतन	789.53	722.95
2.	यात्रा भत्ता	7.79	8.00
3.	चिकित्सा पुनर्भरण	18.00	17.61
4.	कार्यालय व्यय	108.14	60.64
5.	नये वाहन का क्रय	19.17	7.03
6.	कार्यालय वाहन अनुरक्षण	21.00	15.22
7.	व्यावसायिक/विशिष्ट सेवाओं हेतु भुगतान	1472.91	799.32
8.	विज्ञापन	120.00	35.00
9.	आतिथ्य/सत्कार भत्ता	0.05	00.05
10.	भवन का समुचित रख-रखाव	8.17	-
11.	विधि सम्बंधी व्यय	-	-
12.	संविदा वाहन व्यय	-	-
13.	स्टेशनरी	3.50	3.00
14.	मुद्रण	3.14	2.00
15.	संविदा सेवाएँ	95.00	74.20
16.	कर्मचारी कल्याण	0.25	00.25
17.	लिवरीज़ (वर्दियाँ)	0.51	00.42
18.	पेंशन अंशदान	1.48	01.30
19.	निर्माण कार्य	10.04	-
	योग :	2678.68	1746.99

परिशिष्ट – 6

वर्ष 2011-12 के दौरान आयोजित परीक्षाओं के अन्तर्गत सम्मिलित पदों/सेवाओं का विवरण

क्रम संख्या	पद/सेवा का नाम
1	राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा
2	लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार/तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा
3	उपनिरीक्षक पुलिस संयुक्त प्रतियागी परीक्षा
4	व्याख्याता (स्कूल शिक्षा), माध्यमिक शिक्षा विभाग
5	अध्यापक ग्रेड- II (माध्यमिक शिक्षा विभाग)
6	मोटर वाहन उपनिरीक्षक प्रतियोगी परीक्षा
7	कानिष्ठ लिपिक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा

परिशिष्ट – 6 (क)

वर्ष 2011-12 के दौरान आयोजित परीक्षाएं

क्र. सं.	परीक्षा का नाम	परीक्षा दिनांक	आवेदन पत्रों की संख्या	उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या
1	लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार/तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा	25-06-11 से 02-07-11	2957	1403
2	उप निरीक्षक पुलिस संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा अध्यापक ग्रेड- II (माध्यमिक शिक्षा विभाग)	25-05-2011	234005	177577
3	गणित	09-12-2011	23083	497963
4	विज्ञान	08-12-2011	72422	
5	सामाजिक विज्ञान	08-12-2011	364829	
6	अंग्रेजी	10-12-2011	63519	
7	हिन्दी	09-12-2011	250061	
8	राजस्थान न्यायिक सेवा (प्रार.) परीक्षा	21-12-2011	26542	14432
9	कनिष्ठ लिपिक (प्रथम चरण) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा	22-12-2011	126685	71276
10	उप निरीक्षक पुलिस (भूतपूर्व सैनिक) प्रतियोगी परीक्षा	23-12-2011	1575	839
11	लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2010		67528	38274
	व्याख्याता – स्कूल शिक्षा			
12	उर्दू	मार्च, 2012	593	267
13	अंग्रेजी	मार्च, 2012	11638	5993
14	वाणिज्य	मार्च, 2012	8898	5464
15	भौतिक विज्ञान	मार्च, 2012	2785	1962
16	गणित	मार्च, 2012	3827	2142
17	जीव विज्ञान	मार्च, 2012	8772	5369
क्र. सं.	परीक्षा का नाम	परीक्षा दिनांक	आवेदन पत्रों की संख्या	उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या
18	रसायन विज्ञान	मार्च, 2012	9370	6224
19	लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011	26-02-2012	48284	23026
20	मोटर वाहन उप निरीक्षक प्रतियोगी परीक्षा, 2011	27 एवं 28-02-2012	1655	784
	योग		1329028	852995

परिशिष्ट – 7(क)

अभियांत्रिकी, चिकित्सा, तकनीकी तथा गैर-तकनीकी पदों की संख्या,

जिनकी अर्थनाएँ वर्ष 2011-2012 के दौरान प्राप्त हुई
(केवल साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद)

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदों की संख्या				
		अभियांत्रिकी	चिकित्सा	तकनीकी	गैर-तकनीकी	योग
1	चिकित्सा शिक्षा सहायक आचार्य – सर्जिकल गेस्ट्रोएण्ट्रोलोजी	-	7	-	-	7
2	पेडियाकट्रक गेस्ट्रोएण्ट्रोलोजी	-	1	-	-	1
3	पेडियाकट्रक कार्डियोलोजी	-	1	-	-	1
4	नियो-नेटोलोजी	-	1	-	-	1
5	यूरोलोजी	-	5	-	-	5
6	सर्जिकल ऑन्कोलोजी	-	3	-	-	3
7	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य नर्सिंग ट्यूटर	-	61	-	-	61
8	फिजियोथेरेपिस्ट	-	36	-	-	36
9	ओक्युपेशनल थेरेपिस्ट	-	7	-	-	7
10	आयुर्वेद विभाग विवेचक	-	10	-	-	10
11	सहायक निदेशक/जिला आयुर्वेद अधिकारी/मेनेजर फार्मसी	-	24	-	-	24
12	भू-जल विभाग – तकनीकी सहायक	-	-	7	-	7
13	तकनीकी शिक्षा ग्रुप अनुदेशक/सर्वेयर/सहायक प्रशिक्षु सलाहकार	30	-	-	-	30
14	उपाचार्य/अधीक्षक, आई.टी.आई.	12	-	-	-	12
15	नगर नियोजन विभाग सहायक नगर नियोजक (पी.आर.)	-	-	6	-	6
16	नगरीय विकास विभाग कनिष्ठ अभियन्ता	2	-	-	-	2
17	राजस्थान स्टेट मोटर गैराज मण्डलीय अधीक्षक	-	-	1	-	1
TOTAL		44	156	14	-	214

परिशिष्ट – 7(ख)

अभियांत्रिकी, चिकित्सा, तकनीकी तथा गैर-तकनीकी पदों की संख्या, जिनका विज्ञापन, वर्ष 2011-2012 के दौरान प्राप्त अर्थनाओं में से किया गया (केवल साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद)

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदों की संख्या				
		अभियांत्रिकी	चिकित्सा	तकनीकी	गैर-तकनीकी	योग
1	चिकित्सा शिक्षा सहायक आचार्य – सर्जिकल गेस्ट्रोएण्ट्रोलोजी	-	7	-	-	7
2	पेडियाकट्रक गेस्ट्रोएण्ट्रोलोजी	-	1	-	-	1
3	पेडियाकट्रक कार्डियोलोजी	-	1	-	-	1
4	नियो-नेटोलोजी	-	1	-	-	1
5	यूरोलोजी	-	5	-	-	5
6	सर्जिकल ऑन्कोलोजी	-	3	-	-	3
7	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य नर्सिंग ट्यूटर	-	61	-	-	61
8	फिजियोथेरेपिस्ट	-	36	-	-	36
9	आयुर्वेद विभाग विवेचक	-	10	-	-	10
10	सहायक निदेशक/जिला आयुर्वेद अधिकारी/मेनेजर फार्मसी	-	24	-	-	24
11	भू-जल विभाग – तकनीकी सहायक	-	-	7	-	7
12	नगर नियोजन विभाग सहायक नगर नियोजक (पी.आर.)	-	-	6	-	6
13	राजस्थान स्टेट मोटर गैराज मण्डलीय अधीक्षक	-	-	1	-	1
TOTAL		-	149	14	-	163

परिशिष्ट – 7(घ)

पद विज्ञापित किए गए, किन्तु चयन अपूर्ण रहा

क्र. स.	विभाग/पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रूपयों में)
1	<u>नगर नियोजन विभाग</u> सहायक नगर नियोजक	32	15600-39100 (GP- 5400)
2	सहायक नगर नियोजक (पी.आर.)	06	15600-39100 (GP-5400)
3	<u>महाविद्यालय शिक्षा</u> <u>व्याख्याता –</u> दर्शनशास्त्र	01	15600-39100 (GP-6000)
4	गृह विज्ञान (बाल विकास)	03	15600-39100 (GP-6000)
5	गृह विज्ञान (क्लोथिंग टैक्सटाइल)	02	15600-39100 (GP-6000)
6	गृह विज्ञान (शिक्षा विस्तार)	02	15600-39100 (GP-6000)
7	गृह विज्ञान (फूड न्यूट्रिशन)	03	15600-39100 (GP-6000)
8	गृह विज्ञान (गृह प्रबन्धन)	02	15600-39100 (GP-6000)
9	पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग	300	15600-39100 (GP-5400)
10	निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स, कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग	12	15600-39100 (GP-5400)
11	<u>कृषि विभाग</u> कृषि अधिकारी	27	15600-39100 (GP-5400)
12	सहायक कृषि अधिकारी (शस्य)	03	15600-39100 (GP-5400)
13	कृषि अनुसंधान अधिकारी	01	15600-39100 (GP-5400)
14	सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (कीट)	01	9300-34800 (GP-4200)
15	सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (कृषि रसायन)	04	9300-34800 (GP-4200)
16	सहायक कृषि अधिकारी	231	9300-34800 (GP-3600)
17	कनिष्ठ रसायनज्ञ, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	7	9300-34800 (GP-4200)
18	सहायक लोक अभियोजक ग्रेड- II, अभियोजन विभाग	159	9300-34800 (GP-4200)
19	<u>भू-जल विभाग</u> सहायक अभियन्ता (यांत्रिकी)	5	15600-39100 (GP-5400)
20	कनिष्ठ रसायनज्ञ	01	15600-39100 (GP-5400)
21	तकनीकी सहायक	07	9300-34800 (GP-3600)
22	<u>खान एवं भू-विज्ञान विभाग</u> सहायक खनि अभियन्ता	07	15600-39100 (GP-5400)
23	रसायनज्ञ	01	15600-39100 (GP-5400)
24	<u>तकनीकी शिक्षा विभाग</u> प्रवक्ता – सिविल अभियांत्रिकी	62	15600-39100 (GP-5400)
25	कम्प्यूटर अभियांत्रिकी	32	15600-39100 (GP-5400)
26	विद्युत अभियांत्रिकी	16	15600-39100 (GP-5400)
27	यांत्रिकी अभियांत्रिकी	46	15600-39100 (GP-5400)
28	इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी	16	15600-39100 (GP-5400)
29	रसायन शास्त्र	31	15600-39100 (GP-5400)
30	भौतिक शास्त्र	31	15600-39100 (GP-5400)

क्र. स.	विभाग/पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रूपयों में)
31	कॉस्ट्यूम डिजाइन एवं ड्रेस मेकिंग	03	15600-39100 (GP-5400)
32	टैक्सटाइल डिजाइनिंग	03	15600-39100 (GP-5400)
33	वन विभाग सहायक भू-संरक्षण अधिकारी (अभियांत्रिकी)	03	15600-39100 (GP-5400)
34	सहायक भू-संरक्षण अधिकारी (कृषि)	01	15600-39100 (GP-5400)
35	सहायक मत्स्य अधिकारी, मत्स्य पालन विभाग	04	9300-34800 (GP-3600)
36	रसायनज्ञ, राज्य अभिलेखागार विभाग	01	9300-34800 (GP-3600)
37	सहायक विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षणालय विभाग	06	15600-39100 (GP-5400)
38	आहारविद, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	01	9300-34800 (GP-3600)
39	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग परिवीक्षा एवं कारागार कल्याण अधिकारी	23	9300-34800 (GP-3600)
40	जिला परिवीक्षा सह समाज कल्याण अधिकारी	07	9300-34800 (GP-3600)
41	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग सहायक जनसम्पर्क अधिकारी	34	9300-34800 (GP-3200)
42	जनसम्पर्क अधिकारी	06	9300-34800 (GP-4200)
43	सांख्यिकी अधिकारी, आयोजना विभाग	25	9300-34800 (GP-4200)
44	मण्डलीय अधीक्षक, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग	01	9300-34800 (GP-3600)
45	महाविद्यालय शिक्षा विभाग ब्याख्याता – गणित	10	15600-39100
46	विधि	15	15600-39100
47	व्यावसायिक प्रशासन	16	15600-39100
48	हिन्दी	52	15600-39100
49	चिकित्सा शिक्षा विभाग सहायक आचार्य – कार्डियोलोजी	19	15600-39100
50	नेफ्रोलोजी	08	15600-39100
51	न्यूरोलोजी	11	15600-39100
52	प्लास्टिक एवं रिकन्सट्रक्टिव सर्जरी	04	15600-39100
53	कार्डियो वस्कुलर एवं थोरेसिक सर्जरी	17	15600-39100
54	मेडिकल गेस्ट्रएन्ट्रोलोजी	07	15600-39100
55	पैथोलोजी	09	15600-39100
56	कम्यूनिटी मेडिसिन (पी.एण्ड एस.एम.)	08	15600-39100
57	प्रसूती एवं स्त्री रोग	39	15600-39100
58	शिशु औषध	34	15600-39100
59	क्षय एवं वक्ष रोग	04	15600-39100
60	चर्म एवं रति रोग	07	15600-39100
61	रेडियो डायग्नोसिस	29	15600-39100
62	रेडियो थेरेपी	06	15600-39100
63	न्यूरो सर्जरी	07	15600-39100
64	माइक्रोबायोलोजी	02	15600-39100
65	सामान्य औषधि	35	15600-39100
66	अस्थि रोग	24	15600-39100
67	निश्चेतनता	35	15600-39100

क्र.स.	विभाग/पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रूपयों में)
68	फिजियोलोजी	04	15600-39100
69	नाक-कान एवं गला	11	15600-39100
70	नेत्ररोग	12	15600-39100
71	फार्माकोलोजी	02	15600-39100
72	फिजिकल मेडीसिन एण्ड रिहैबिलिटेशन	04	15600-39100
73	सर्जिकल गेस्ट्रोलोजी	02	15600-39100
74	निओ-नेटोलोजी	01	15600-39100
75	यूरोलोजी	05	15600-39100
76	सामान्य शल्य चिकित्सा	40	15600-39100
77	एनाटोमी	06	15600-39100
78	मनोरोग	09	15600-39100
79	फोरेसिक मेडीसिन	03	15600-39100
80	सर्जिकल ऑन्कोलोजी	03	15600-39100
81	रेडियोलोजिकल फिजिक्स	02	15600-39100
82	दन्त (सामान्य)	07	15600-39100
83	वरिष्ठ प्रदर्शक – फोरेसिक मेडीसिन	10	15600-39100
84	एनाटोमी	10	15600-39100
85	फिजियोलोजी	18	15600-39100
86	बायोकेमिस्ट्री	13	15600-39100
87	फार्माकोलोजी	11	15600-39100
88	माइक्रोबायोलोजी	13	15600-39100
89	पैथोलोजी	27	15600-39100
90	कम्यूनिटी मेडिसिन (पी.एण्ड एस.एम.)	20	15600-39100
91	दन्त	10	15600-39100
92	रेडियोलोजिकल फिजिक्स	01	15600-39100
93	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग चिकित्सा अधिकारी (दन्त)	56	15600-39100
94	नर्सिंग ट्यूटर	61	9300-34800
95	फिजियोथेरेपिस्ट	36	9300-34800
96	पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग मुद्राशास्त्री	01	9300-34800
97	खोज एवं उत्खनन अधिकारी	01	15600-39100
98	संग्रहाध्यक्ष	05	9300-34800
99	राज्य अभिलेखागार विभाग पुरालेखपाल	02	9300-34800
100	अनुसंधान अधिकारी	01	9300-34800
	योग :	1974	

परिशिष्ट – 7(ड)

अभ्यर्थियों की न्यूनतम सूची हेतु आयोजित संवीक्षा परीक्षाएँ

क्र.स.	विभाग/पद नाम	पदों की संख्या	आवेदक	उपस्थित
1	महाविद्यालय शिक्षा विभाग व्याख्याता – हिन्दी	52	4058	2687

2	रसायन शास्त्र	37	1635	1005
3	राजनीति विज्ञान	57	4353	3061
4	उर्दू	02	187	64
5	अर्थशास्त्र	17	947	603
6	वनस्पति शास्त्र	27	1494	1024
7	इतिहास	42	3321	2058
8	भूगोल	48	3072	2148
9	भौतिक शास्त्र	10	362	154
10	प्राणी शास्त्र	30	1172	845
11	अंग्रेजी	10	447	224
12	लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी	16	285	185
13	विधि	15	399	241
14	समाजशास्त्र	23	1133	698
15	आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्धन	16	457	198
16	लोक प्रशासन	03	620	356
17	चित्रकला	07	493	365
18	गृह विज्ञान (क्लोथिंग टैक्सटाईल)	02	43	30
क्र.स.	विभाग/पद नाम	पदों की संख्या	आवेदक	उपस्थित
19	गृह विज्ञान (बाल विकास)	03	75	55
20	गृह विज्ञान (शिक्षा विस्तार)	02	62	47
21	गृह विज्ञान (फूड न्यूट्रिशन)	03	108	86
22	गृह विज्ञान (गृह प्रबन्धन)	02	116	14
23	मनोविज्ञान	01	43	24
24	दर्शनशास्त्र	01	64	28
25	पुस्तकालय विज्ञान	01	51	31
26	गणित	10	184	83
27	भूगर्भ विज्ञान	02	23	12
28	व्यावसायिक प्रशासन	16	245	160
29	संगीत (कण्ठ)	02	132	90
	चिकित्सा शिक्षा विभाग			
	सहायक आचार्य :			
30	नाक-कान एवं गला (ऑनलाईन)	11	88	73
31	नेत्ररोग	12	131	102
32	सामान्य औषधि	35	381	249
33	निश्चेतनता	35	160	96
34	पैथोलोजी	09	146	85
35	प्रसूति एवं स्त्री रोग	39	406	239
36	दन्त (सामान्य)	07	106	60
37	वरिष्ठ प्रदर्शक – फिजियोलोजी	18	744	289
38	वरिष्ठ प्रदर्शक – बायोकेमिस्ट्री	13	541	237
	आयुर्वेद विभाग			
39	ग्रामीण आयुर्वेद चिकित्सक	250	5655	4377
40	यूनानी चिकित्सा अधिकारी	24	1179	876
41	होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी	43	3201	2327
	पशुपालन विभाग			
42	पशु चिकित्सा अधिकारी	300	815	658

43	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग चिकित्सा अधिकारी (दन्त)	56	3437	2479
44	अभियोजन विभाग सहायक लोक अभियोजक ग्रेड-॥	159	15776	8319
45	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग परिवीक्षा एवं कारागार कल्याण अधिकारी	23	1959	1030
46	जिला परिवीक्षा सह समाज कल्याण अधिकारी	16	2687	1251
	Total	1489		

परिशिष्ट – 7 (च)

पदों की सूची जिनकी अर्थना विज्ञापनोपरान्त परन्तु साक्षात्कार से पूर्व निरस्त कर दी गई

क्रम संख्या	पद/विभाग का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
- शून्य -			

परिशिष्ट – 7 (छ)

पद जिनके लिये साक्षात्कार आयोजित किये गये परन्तु कोई भी अभ्यर्थी योग्य नहीं पाया गया

क्रम संख्या	पद/विभाग का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
शून्य			

परिशिष्ट – 7 (ज)

पद जिनके लिये आरक्षित सूची से नाम अभिस्तावित किये गये

क्रम संख्या	पद/विभाग का नाम	पदों की संख्या
1	महाविद्यालय शिक्षा व्याख्याता – इतिहास	01
2	अर्थशास्त्र	3
	योग	4

परिशिष्ट – 7 (झ)

पद विज्ञापित किए गए परन्तु किसी भी अभ्यर्थी ने आवेदन नहीं किया

क्रम संख्या	पद/विभाग का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	शून्य		

परिशिष्ट – 8 (क)

निःशक्त जन हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध अभिस्तावित अभ्यर्थियों का विभागानुसार विवरण

क्र.सं.	विभाग	पदों की संख्या	आवेदक	साक्षात्कार		चयनित
				आमंत्रित	उपस्थित	

	महाविद्यालय शिक्षा विभाग					
	व्याख्याता –					
1	अर्थशास्त्र	1	20	2	2	1
2	भूगोल	3	61	10	6+2*	3
3	राजनीति विज्ञान	1	62	4	4	1
4	समाजशास्त्र	1	8	3	3	1

* By Court's order

परिशिष्ट – 8 (ख)

आरक्षित पदों का विवरण जिनके लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के किसी भी अभ्यर्थी ने आवेदन नहीं किया

क्र.सं.	विभाग/पद	आरक्षित पदों की संख्या		
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.
	चिकित्सा शिक्षा विभाग			
	सहायक आचार्य :			
1	कार्डियोलोजी	02	01	-
2	नेफ्रोलोजी	01	-	-
3	न्यूरोलोजी	-	01	01
4	प्लास्टिक एवं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी	01	-	-
5	कार्डियो वस्कुलर एवं थोरेसिक सर्जरी	-	01	-
6	रेडियो थेरेपी	-	01	-
7	मेडिकल गेस्ट्रएन्ट्रोलोजी	01	01	-
8	न्यूरो सर्जरी	-	01	-
9	शिशु शल्य	-	01	-
10	फिजियोलोजी	01	-	-
11	यूरोलोजी	01	01	-
12	एनाटॉमी	01	-	-
	योग	08	08	01

परिशिष्ट – 9

**चिरकालिक प्रकरण-विभागों द्वारा तदर्थ/अस्थायी नियुक्तियों
के प्रकरणों के नियमन में विलम्ब**

क्र.स.	विभाग/पद का नाम	पदधारकों की संख्या
	5 वर्ष एवं इससे अधिक समय से निरन्तर चल रही तदर्थ नियुक्तियाँ	
1	<u>चिकित्सा एवं स्वास्थ्य</u> चिकित्सा अधिकारी	256
	10 वर्ष एवं इससे अधिक समय से निरन्तर चल रही तदर्थ नियुक्तियाँ	
2	सहायक आचार्य, विकिरण निदान	1
	योग :	257

परिशिष्ट – 10

आयोग द्वारा अनुमोदित सीधी भर्ती यथांश (कोटा) पदों के विरुद्ध
शासन द्वारा की गई, अस्थायी नियुक्तियों के प्रकरण

क्र.सं.	विभाग/पद का नाम	व्यक्तियों की संख्या
1	<u>चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप - 1) -</u> सह आचार्य - चर्म एवं रति रोग	01
2	आचार्य - निश्चेतनता	02
3	आचार्य एवं सह आचार्य, औषधि	09
4	सह आचार्य - चर्म एवं रति रोग	01
5	आचार्य - शल्य चिकित्सा	04
6	आचार्य - न्यूरोलोजी	01
7	सह आचार्य - स्त्री एवं प्रसूती	10
8	आचार्य - स्त्री एवं प्रसूती	03
	योग :	31

परिशिष्ट – 11

शासन द्वारा पदोन्नति यथांश (कोटा)/सीधी भर्ती के पदों के विरुद्ध अस्थायी रूप से की गई
नियुक्तियों के प्रकरण, जो कि सूचना के अभाव में लम्बित रहे

क्र. सं.	विभाग/पद का नाम	व्यक्तियों की संख्या
1	<u>चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1)</u> सहायक आचार्य - पी.एम.आर.	03

2	सहायक आचार्य एवं वरिष्ठ प्रदर्शक (विभिन्न विषय)	47
3	सहायक आचार्य, पी.एण्ड एस.एम. तथा दन्त	02
4	सहायक आचार्य (विभिन्न विषय)	05
5	सहायक आचार्य – पी.एम.आर.	02
6	सहायक आचार्य एवं वरिष्ठ प्रदर्शक (विभिन्न विषय)	36
7	सहायक आचार्य एवं वरिष्ठ प्रदर्शक (विभिन्न विषय)	97
8	सहायक आचार्य, दन्त, नेत्र रोग एवं यूरोलोजी	03
9	सहायक आचार्य, स्त्री एवं प्रसूती रोग	01
10	सहायक आचार्य, शल्य चिकित्सा	01
11	सहायक आचार्य एवं वरिष्ठ प्रदर्शक	62
	योग :	258

परिशिष्ट – 12

शासन द्वारा पदोन्नति यथांश (कोटा)/सीधी भर्ती के पदों के विरुद्ध अस्थायी रूप से की गई नियुक्तियों के प्रकरण, जो कि सूचना के अभाव में लम्बित रहे

क्र. सं.	विभाग/पद का नाम	व्यक्तियों की संख्या	
		सीधी भर्ती कोटा	पदोन्नति कोटा
1	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग 1. चिकित्सा अधिकारी	370	—
2	कार्मिक (क-4 अनु.-2) विभाग 1. उप सचिव, सचिवालय सेवा (निजी सचिव संवर्ग से) 2. निजी सचिव, सचिवालय सेवा 3. सहायक सचिव, सचिवालय सेवा 4. उप सचिव, सचिवालय सेवा 5. अनुभाग अधिकारी, सचिवालय सेवा	— — — — —	01 05 25 09 34
3	चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग 1. सहायक आचार्य – फिजियोथेरेपी एवं लेक्चरर – फिजियोथेरेपी	02	—
4	शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग 1. प्रो. न्याय दर्शन	—	01
5	नगर नियोजन विभाग 1. सहायक नगर नियोजक	35	—
6	खान (ग्रुप-1) विभाग 1. अतिरिक्त निदेशक, भू-गर्भ शास्त्री	—	01
7	भू-जल विभाग 1. सहायक अभियन्ता – सिविल	—	09
8	पर्यटन विभाग 1. सहायक निदेशक – पर्यटन	—	03

	(वर्ष 2009-10 से लम्बित)		
9	कृषि विभाग 1. सहायक कृषि अधिकारी (वर्ष 2008-09 से लम्बित)	—	216
	योग	407	304

परिशिष्ट - 13

अस्थाई नियुक्तियों की प्रारम्भिक अवधि की समाप्ति के पश्चात् आयोग को विलम्ब से भेजे गये प्रकरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्रकरणों की संख्या जिन्हें भेजने में विलम्ब हुआ		
		1 वर्ष से अधिक	1 वर्ष से अधिक परन्तु दो वर्ष से कम	दो वर्ष से अधिक
1	शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग 1. प्रो. न्याय दर्शन	—	—	01
2	सार्वजनिक निर्माण विभाग 1. सहायक अभियन्ता सिविल	—	—	09
	योग	—	—	10

परिशिष्ट - 14

आयोग द्वारा निस्तारित विभिन्न सेवा नियमों/अनुसूचियों से सम्बन्धित प्रारूप संशोधन

क्र. सं.	सेवा नियम का नाम	संशोधनों की संख्या	
		नियम	अनुसूची
राज्य सेवा :			
1	राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शिक्षा) नियम, 1986	10	1 (सम्पूर्ण अनुसूची)
2	राजस्थान मूल्यांकन सेवा नियम, 1979	-	2
3	राजस्थान चिकित्सा शिक्षा सेवा नियम, 1962	1	1
4	राजस्थान सहकारिता सेवा नियम, 1954	3	-
5	राजस्थान सचिवालय सेवा नियम, 1954	3	-
6	विभिन्न सेवा नियमों में Above Super Time Scale में नियुक्ति की योग्यता के संबंध में संशोधन	3	-

7	राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि सेवा नियम, 1959	-	2
8	राजस्थान जन सम्पर्क सेवा नियम, 1960	-	1
9	राजस्थान लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1951	-	3
10	राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963	8	26
11	राजस्थान ग्रामीण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 2008	8	-
12	राजस्थान भू-जल सेवा नियम, 1963	-	1
13	राजस्थान कृषि सेवा नियम, 1960	2	2
14	राजस्थान निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर्स एवं निरीक्षक कारखाना (रसायन) नियम, 1958	-	2
15	राजस्थान लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 1974	1	-
16	राजस्थान कृषि विपणन सेवा नियम, 1986	1	3
17	राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा (भवन एवं पथ शाखा) सेवा नियम, 1954	-	1
18	राजस्थान लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1951	1	-
19	राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992	8	10
20	राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1998	-	1
21	राजस्थान महिला एवं बाल विकास (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1998	1	1 (सम्पूर्ण अनुसूची)
क्र. सं.	सेवा नियम का नाम	संशोधनों की संख्या	
		नियम	अनुसूची
22	राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999	1	-
23	राजस्थान देवस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 2000	-	1
24	राजस्थान तकनीकी शिक्षा (अभियांत्रिकी) सेवा नियम, 2010	1	-
25	राजस्थान महिला विकास सेवा नियम, 2008	-	1
26	राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010	2	-
27	राजस्थान राज्य अभियांत्रिकी सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1991	-	2
28	राजस्थान रसद एवं प्रवर्तन सेवा नियम, 1976	-	1
29	राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा (भवन एवं पथ शाखा) सेवा नियम, 1954	2	2
30	राजस्थान लोक सेवा आयोग (राजपत्रित अधिकारी) नियम एवं विनियम, 1991	-	1
31	राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970	7	17
32	राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1971	1	-
33	राजस्थान निःशक्तजन को रोजगार नियम, 2000 (रिपील्ड)	1 (सम्पूर्ण अनुसूची)	-
अधीनस्थ सेवा :			
34	राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978	-	3
35	राजस्थान लेखा अधीनस्थ सेवा नियम, 1963	-	2
36	राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी सेवा (भवन एवं पथ शाखा) सेवा नियम, 1973	3	4
37	राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम, 1963	2	1 (सम्पूर्ण अनुसूची)
38	राजस्थान सिविल सेवाएं (भूतपूर्व सैनिकों का संविलयन) नियम, 1998 में संशोधन	2	-
39	राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2001	-	1
40	राजस्थान जन सम्पर्क अधीनस्थ सेवा नियम, 1975	-	5
41	राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978	2	-
42	राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम, 1966	-	1
43	राजस्थान लोक सेवा आयोग (मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ सेवा) नियम एवं विनियम, 1999	-	1
44	राजस्थान सचिवालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1970	-	1

45	राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971	1	4
46	राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा नियम, 1973	-	2
विविध :			
47	विभिन्न सेवा नियमों में राजकीय सेवाओं में स्थायीकरण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता अनिवार्य करने संबंधी संशोधन	1	-
48	विभिन्न सेवा नियमों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति कर्मचारियों का आरक्षण परिणामिक वरिष्ठता, रोस्टर पॉइन्ट के समाप्त होने तक जारी रहने संबंधी संशोधन	4	-
49	राजस्थान मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 में संशोधन	4	-
		योग :	84
		कुल योग :	108
			192

नवीन सेवा नियमों के प्रारूप

क्र.सं.	सेवा नियम का नाम (प्रारूप)
1.	राजस्थान मत्स्य राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 2011
2.	राजस्थान गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा सेवा नियम, 2011

परिशिष्ट – 15

नवीन सेवा नियम अथवा शासन द्वारा प्रख्यापित विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन

क्र.सं.	सेवा नियम का नाम
1	राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा नियम, 1958
2	राजस्थान मूल्यांकन सेवा नियम, 1979
3	राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) सेवा नियम, 1962
4	राजस्थान सचिवालय सेवा नियम, 1954
5	विभिन्न सेवा नियमों में Above Super Time Scale में नियुक्ति की योग्यता के संबंध में संशोधन
6	राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963
7	राजस्थान लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1951
8	राजस्थान ग्रामीण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 2008
9	राजस्थान लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 1974
10	राजस्थान निशक्तजन रोजगार सेवा नियम, 2000 (रिपील्ड)
11	राजस्थान देवस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 2000
12	राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010
13	राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम 2007
14	राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999
15	राजस्थान तकनीकी शिक्षा (अभियांत्रिकी) सेवा नियम, 2010 (हिन्दी संस्करण)
16	राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010
17	राजस्थान सिविल सेवाएं (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों का विशेष चयन एवं सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 2011
18	राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970
19	राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा (भवन एवं पथ शाखा) सेवा नियम, 1954
20	राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी सेवा (भवन एवं पथ शाखा) सेवा नियम, 1973
21	राजस्थान सिविल सेवाएं (महिला विकास परियोजना में परियोजना निदेशक, परियोजना अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों के विशेष चयन एवं सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 1984
22	राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992
23	राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1998
24	राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी सेवा (सिंचाई शाखा) सेवा नियम, 1967
25	राजस्थान रसद एवं प्रवर्तन सेवा नियम, 1976
26	राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978

27	राजस्थान जेल अधीनस्थ सेवा नियम, 1998
28	राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965
29	राजस्थान सचिवालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1970
30	राजस्थान अधीनस्थ सेवाएं (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2001
31	राजस्थान लोक सेवा आयोग (मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ सेवाएं) नियम एवं विनियम, 1999
32	राजस्थान सचिवालय सेवा नियम, 1954
33	राजस्थान प्रसाशनिक सेवा नियम, 1954
34	विद्यमान अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)कार्मिक/क-2/2002 दिनांक 28.12.2002 एवं एफ.7(3)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.04.2008 उनके जारी करने की दिनांक से प्रत्याहारित किए जाने संबंधी संशोधन
35	विभिन्न सेवा नियमों में अभ्यर्थी के बच्चों की कुल संख्या में पूर्वोत्तर प्रसव से निशक्त बच्चे को नहीं जोड़े जाने संबंधी संशोधन
36	राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963
37	राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा नियम, 1973
38	राजस्थान निशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का रक्षण एवं पूर्व सहभागिता) नियम, 2011

परिशिष्ट - 16

सशस्त्र सैन्य बल/अर्द्ध सैन्य बल सेवा के मृत/स्थायी रूप से अक्षम कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत आयोग को संदर्भित प्रकरणों की सूची

क्र. सं.	सशस्त्र सैन्य बल/अर्द्ध सैन्य बल के मृत/स्थायी रूप से अक्षम कर्मचारियों के नाम/पद/यूनिट	शहीद होने का दिनांक	आश्रित, जिसकी नियुक्ति की जानी है	पद जिस पर नियुक्ति की जानी है	अभ्युक्ति
1.	शहीद सैनिक श्री राजेश कुमार फगेरिया	28-01-2011	पत्नी	अध्यापक - ग्रेड- II	प्रतिवेदनाधीन वर्ष के अन्त तक प्रकरण विभाग से पत्राचाराधीन रहा ।
2	शहीद सैनिक श्री महेन्द्र सिंह गोदारा	12-06-1999	पुत्री	नायब तहसीलदार	आयोग की सहमति प्रदान की गई ।
3	शहीद सिगनलमेन श्री नयनसुख	18-11-2003	पत्नी	नायब तहसीलदार	आयोग की सहमति प्रदान की गई ।

परिशिष्ट - 17

डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र/परीक्षा को मान्यता देने संबंधी आयोग को भेजे गये प्रकरण

क्र. सं.	डिग्री/डिप्लोमा का नाम
	- शून्य -

परिशिष्ट - 18

क्र.सं.	पद व विभाग का नाम	वर्ग	पदों की संख्या			कुल आवेदक			उपस्थित अभ्यर्थी			साक्षात्कार/द्वितीय चरण परीक्षा हेतु पात्र			साक्षात्कार लिए गए			अभिस्तावित		
			पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग
1	राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रा.) परीक्षा, 2010	कल	576	245	821	267642	100877	368519	207322	74923	282245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		अजा	93	36	129	61060	18780	79840	47137	13225	60362	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		अजजा	64	28	92	52750	14166	66916	40066	9663	49729	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		अपिव	119	56	175	80158	31084	111242	63732	23784	87516	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		विपिव	3	1	4	8332	1770	10102	6890	1390	8280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		सा.	297	124	421	73674	36847	110521	49497	26831	76328	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (मु.) परीक्षा, 2010	कल	-	-	-	9721	3779	13500	8451	3361	11812	1503	512	2015	1465	496	1961	1465	496	1961
		अजा	-	-	-	1396	540	1936	1275	486	1761	185	74	259	181	71	252	181	71	252
		अजजा	-	-	-	960	421	1381	890	400	1290	130	56	186	125	50	175	125	50	175
		अपिव	-	-	-	2742	914	3656	2535	831	3366	553	125	678	538	120	658	538	120	658
		विपिव	-	-	-	167	44	211	161	43	204	37	5	42	36	5	41	36	5	41
		सा.	-	-	-	4456	1860	6316	3590	1601	5191	598	252	850	585	250	835	585	250	835
3	सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2008	T	185	45	230	2244	178	2422	1582	124	1706	182	21	203	176+127*	20+05*	196+132*	144	22	166
		SC	62	9	71	535	25	560	393	19	412	42	2	44	41+70*	02+03*	43+73*	40	3	43
		ST	48	6	54	547	25	572	416	19	435	35	2	37	32+45*	02+00*	34+45*	35	2	37
		OBC	22	9	31	355	40	395	261	31	292	39	5	44	38+07*	04+01*	42+08*	34	4	38
		Gen.	53	21	74	807	88	895	512	55	567	66	12	78	65+05*	12+01*	77+06*	35	13	48
4	राजस्थान न्यायिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा, 2011	कल	73	28	101	19319	7223	26542	10333	4099	14432	1310	507	1817	द्वितीय चरण प्रक्रियाधीन	-	-	-		
		अजा	12	4	16	2340	499	2839	1615	361	1976	196	60	256		-	-	-		
		अजजा	9	3	12	933	194	1127	678	137	815	297	91	388		-	-	-		
		अपिव	15	6	21	4081	1162	5243	2625	834	3459	234	92	326		-	-	-		
		विपिव	-	-	0	239	31	270	153	24	177	6	-	6		-	-	-		
		सा.	37	15	52	11726	5337	17063	5262	2743	8005	577	264	841		-	-	-		

क्र.सं.	पद व विभाग का नाम	वर्ग	पदों की संख्या			कुल आवेदक			उपस्थित अभ्यर्थी			साक्षात्कार/द्वितीय चरण परीक्षा हेतु पात्र			साक्षात्कार लिए गए			अभिस्तावित		
			पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग
	विभाग वरिष्ठ अध्यापक (ग्रेड-11) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 गणित	अजा	272	113	385	1839	248	2087	1468	185	1653	-	-	-	-	-	-	परीक्षा परिणाम माननीय न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित होने एवं अंतिम वरीयता सूची परिवर्तित होने की संभावना के कारण अभिस्तावित अभ्यर्थियों की संख्या परिवर्तनीय है		
		अजजा	257	103	360	993	68	1061	729	31	760	-	-	-	-	-	-			
		अपिव	352	145	497	6809	1749	8558	5623	1471	7094	-	-	-	-	-	-			
		विपिव	20	-	20	232	29	261	196	24	220	-	-	-	-	-	-			
		सा.	781	330	1111	7272	3915	11187	4890	2946	7836	-	-	-	-	-	-			
13	2. विज्ञान	कल	1682	691	2373	44537	28914	73451	34950	23186	58136	-	-	-	-	-	-			
		अजा	272	113	385	8324	2876	11200	6967	2366	9333	-	-	-	-	-	-			
		अजजा	257	103	360	4764	1250	6014	3771	1003	4774	-	-	-	-	-	-			
		अपिव	352	145	497	18670	11260	29930	15326	9292	24618	-	-	-	-	-	-			
		विपिव	20	-	20	782	246	1028	662	195	857	-	-	-	-	-	-			
सा.	781	330	1111	11997	13282	25279	8224	10300	18524	-	-	-	-	-	-					
14	3.अंग्रेजी	कल	1682	691	2373	37691	26451	64142	29622	21427	51049	-	-	-	-	-	-			
		अजा	272	113	385	6569	2083	8652	5412	1707	7119	-	-	-	-	-	-			
		अजजा	257	103	360	3264	998	4262	2559	811	3370	-	-	-	-	-	-			
		अपिव	352	145	497	15776	9673	25449	13012	7982	20994	-	-	-	-	-	-			
		विपिव	20	-	20	1066	249	1315	893	204	1097	-	-	-	-	-	-			
सा.	781	330	1111	11016	13448	24464	7746	10723	18469	-	-	-	-	-	-					
15	4. हिन्दी	कल	1682	691	2373	147669	114636	262305	114880	96661	211541	-	-	-	-	-	-			
		अजा	272	113	385	31257	16372	47629	27104	14031	41135	-	-	-	-	-	-			
		अजजा	257	103	360	27913	12178	40091	23725	10275	34000	-	-	-	-	-	-			
		अपिव	352	145	497	49301	45494	94795	42341	38626	80967	-	-	-	-	-	-			
		विपिव	20	-	20	4539	1503	6042	3928	1282	5210	-	-	-	-	-	-			
सा.	781	330	1111	33659	39089	72748	17782	32447	50229	-	-	-	-	-	-					
16	5. सामाजिक	कल	1682	691	2373	235713	144359	380072	177408	1E+05	288281	-	-	-	-	-	-			

क्र.सं.	पद व विभाग का नाम	वर्ग	पदों की संख्या			कुल आवेदक			उपस्थित अभ्यर्थी			साक्षात्कार/द्वितीय चरण परीक्षा हेतु पात्र			साक्षात्कार लिए गए			अभिस्तावित		
			पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग
	विज्ञान	अजा	272	113	385	47566	21738	69304	39305	17055	56360	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		अजजा	257	103	360	42336	14490	56826	34958	11225	46183	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		अपिव	352	145	497	88166	60383	148549	71769	46279	118048	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		विपिव	20	-	20	6628	1804	8432	5487	1385	6872	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		सा.	781	330	1111	51017	45944	96961	25889	34929	60818	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	शीघ्र लिपिक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 1. शासन सचिवालय	कल	74	26	100	6108	867	6975	3238	365	3603	-	-	-	-	-	-	-	-	द्वितीय फेज की परीक्षा आयोजित किया जाना शेष है।
		अजा	12	4	16	948	132	1080	443	52	495	-	-	-	-	-	-	-	-	
		अजजा	10	2	12	741	92	833	357	31	388	-	-	-	-	-	-	-	-	
		अपिव	14	6	20	1873	261	2134	994	114	1108	-	-	-	-	-	-	-	-	
		विपिव	-	-	-	97	4	101	58	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-	
		सा.	38	14	52	2449	398	2847	1386	168	1554	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	शीघ्र लिपिक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 2. अधीनस्थ कार्यालय	कल	356	150	506	उपरोक्तानुसार।			उपरोक्तानुसार।			-	-	-	-	-	-	-	-	-
		अजा	56	24	80							-	-	-	-	-	-	-	-	-
		अजजा	42	18	60							-	-	-	-	-	-	-	-	-
		अपिव	75	31	106							-	-	-	-	-	-	-	-	-
		विपिव	4	1	5							-	-	-	-	-	-	-	-	-
		सा.	179	76	255							-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	कनिष्ठ लिपिक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 1. लोक सेवा आयोग	कल	27	10	37	101396	25290	126686	58691	12725	71416	-	-	-	-	-	-	-	-	कुल 26 अभ्यर्थी अभिस्तावित अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
		अजा	5	2	7	20409	3931	24340	11100	1739	12839	-	-	-	-	-	-	-	-	
		अजजा	3	1	4	14275	2497	16772	7960	1114	9074	-	-	-	-	-	-	-	-	
		अपिव	5	2	7	36178	7920	44098	21089	3968	25057	-	-	-	-	-	-	-	-	
		विपिव	-	-	0	2379	302	2681	1450	153	1603	-	-	-	-	-	-	-	-	
सा.	14	5	19	28155	10640	38795	17092	5751	22843	-	-	-	-	-	-	-	-			
20	2. शासन	कल	262	63	325	उपरोक्तानुसार।			उपरोक्तानुसार।			-	-	-	-	-	-	-	-	आवेदन पत्रों की

क्र.सं.	पद व विभाग का नाम	वर्ग	पदों की संख्या			कुल आवेदक			उपस्थित अभ्यर्थी			साक्षात्कार/द्वितीय चरण परीक्षा हेतु पात्र			साक्षात्कार लिए गए			अभिस्तावित		
			पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग
	सचिवालय	अजा	42	10	52							-	-	-	-	-	-	जाँच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
		अजजा	32	8	40							-	-	-	-	-	-			
		अपिव	55	13	68							-	-	-	-	-	-			
		विपिव	3	-	3							-	-	-	-	-	-			
		सा.	130	32	162							-	-	-	-	-	-			
21	3. अधीनस्थ कार्यालय	कल	1113	472	1585	उपरोक्तानुसार।			उपरोक्तानुसार।			-	-	-	-	-	-	आवेदन पत्रों की जाँच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
		अजा	175	74	249							-	-	-	-	-	-			
		अजजा	171	71	242							-	-	-	-	-	-			
		अपिव	223	95	318							-	-	-	-	-	-			
		विपिव	11	4	15							-	-	-	-	-	-			
		सा.	533	228	761							-	-	-	-	-	-			
22	माध्यमिक शिक्षा विभाग वरिष्ठ अध्यापक (ग्रेड-11) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2008 1.विज्ञान	कल	1390	569	1959	47296	31966	79262	38238	25193	63431	-	-	-	-	-	-	1384	558	1942
		अजा	218	87	305	8943	2965	11908	7290	2371	9661	-	-	-	-	-	-	217	86	303
		अजजा	207	83	290	5196	1282	6478	4066	998	5064	-	-	-	-	-	-	208	82	290
		अपिव	278	115	393	20786	11595	32381	16827	9370	26197	-	-	-	-	-	-	274	108	382
		विपिव	15	1	16	-	-	-	546	147	693	-	-	-	-	-	-	16	1	17
		सा.	672	283	955	12371	16124	28495	9509	12307	21816	-	-	-	-	-	-	669	281	950
23	2. अंग्रेजी	कल	1387	572	1959	40379	27374	67753	31622	21211	52833	-	-	-	-	-	-	1367	574	1941
		अजा	218	89	307	6639	1963	8602	5371	1588	6959	-	-	-	-	-	-	216	90	306
		अजजा	206	83	289	3429	931	4360	2669	771	3440	-	-	-	-	-	-	203	83	286
		अपिव	278	115	393	17834	9709	27543	14053	7795	21848	-	-	-	-	-	-	266	115	381
		विपिव	15	1	16	-	-	-	551	94	645	-	-	-	-	-	-	15	1	16
		सा.	670	284	954	12477	14771	27248	8978	10963	19941	-	-	-	-	-	-	667	285	952
24	माध्यमिक शिक्षा	कल	733	290	1023	120553	98298	218851	103116	82174	185290	-	-	-	-	-	-	716	288	1004

क्र.सं.	पद व विभाग का नाम	वर्ग	पदों की संख्या			कुल आवेदक			उपस्थित अभ्यर्थी			साक्षात्कार/द्वितीय चरण परीक्षा हेतु पात्र			साक्षात्कार लिए गए			अभिस्तावित		
			पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग
	विभाग वरिष्ठ अध्यापक (ग्रेड- I) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2008 3.हिन्दी	अजा	116	44	160	27191	13520	40711	23204	11305	34509	-	-	-	-	-	-	114	44	158
		अजजा	99	37	136	24972	10100	35072	21215	8351	29566	-	-	-	-	-	-	94	37	131
		अपिव	149	58	207	47655	38919	86574	39650	32421	72071	-	-	-	-	-	-	142	57	199
		विपिव	8	-	8	-	-	0	2008	591	2599	-	-	-	-	-	-	8	-	8
		सा.	361	151	512	20735	35759	56494	17039	29506	46545	-	-	-	-	-	-	358	150	508
25	4. उर्दू	कल	50	10	60	2486	1406	3892	2149	1219	3368	-	-	-	-	-	-	48	11	59
		अजा	5	-	5	104	15	119	83	7	90	-	-	-	-	-	-	5	-	5
		अजजा	5	-	5	75	9	84	51	3	54	-	-	-	-	-	-	4	-	4
		अपिव	9	-	9	1588	635	2223	1406	551	1957	-	-	-	-	-	-	9	-	9
		विपिव	-	-	-	3	1	4	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सा.	31	10	41	716	746	1462	606	657	1263	-	-	-	-	-	-	30	11	41		
26	5. पंजाबी	कल	31	5	36	636	881	1517	462	655	1117	-	-	-	-	-	-	29	5	34
		अजा	4	-	4	64	56	120	49	42	91	-	-	-	-	-	-	4	-	4
		अजजा	4	-	4	9	-	9	3	-	3	-	-	-	-	-	-	2	-	2
		अपिव	6	-	6	270	293	563	224	235	459	-	-	-	-	-	-	6	-	6
		विपिव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सा.	17	5	22	293	532	825	186	378	564	-	-	-	-	-	-	17	5	22		
27	6. गुजराती	कल	5	1	6	145	88	233	65	17	82	-	-	-	-	-	-	5	1	6
		अजा	-	-	-	11	6	17	3	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		अजजा	-	-	-	18	22	40	11	9	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		अपिव	-	-	-	27	7	34	6	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		विपिव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सा.	5	1	6	89	53	142	45	33	78	-	-	-	-	-	-	5	1	6		
28	7. सामाजिक	कल	733	290	1023	155173	88517	243690	129072	71694	200766	-	-	-	-	-	-	729	286	1015

क्र.सं.	पद व विभाग का नाम	वर्ग	पदों की संख्या			कुल आवेदक			उपस्थित अभ्यर्थी			साक्षात्कार/द्वितीय चरण परीक्षा हेतु पात्र			साक्षात्कार लिए गए			अभिस्तावित					
			पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग			
	विज्ञान	अजा	114	44	158	33098	13230	46328	27727	10899	38626	-	-	-	-	-	-	115	44	159			
		अजजा	103	38	141	29660	8290	37950	24598	6800	31398	-	-	-	-	-	-	103	36	139			
		अपिव	149	58	207	64198	35196	99394	54272	29163	83435	-	-	-	-	-	-	144	57	201			
		विपिव	7	-	7	1876	390	2266	1874	390	2264	-	-	-	-	-	-	6	-	6			
		सा.	360	150	510	26341	31411	57752	20601	24442	45043	-	-	-	-	-	-	361	149	510			
29	मोटर वाहन उपनिरीक्षक प्रतियोगी परीक्षा, 2011	कल	31	10	41	1598	57	1655	744	31	775	115	9	124				माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार साक्षात्कार प्रक्रिया स्थगित					
		अजा	10	4	14	255	5	260	112	1	113	41	1	42									
		अजजा	12	4	16	236	3	239	116	1	117	48	1	49									
		अपिव	6	2	8	460	21	481	226	10	236	18	6	24									
		विपिव	0	0	0	13	0	13	2	0	2	0	0	0									
		सा.	3	0	3	634	28	662	288	19	307	8	1	9									
30	लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 1. लेखाकार	कल	279	116	395	40284	8000	48284	19816	3210	23026							अभिस्तावना प्रेषित की जानी है।					
		अजा	28	12	40	7599	1173	8772	3214	331	3545												
		अजजा	21	9	30	6995	1020	8015	2789	311	3100												
		अपिव	67	27	94	11520	1899	13419	5879	730	6609												
		विपिव	4	0	4	606	61	667	294	28	322												
		सा.	159	68	227	13564	3847	17411	7640	1810	9450												
31	2- कनिष्ठ लेखाकार	कल	648	276	924	उपरोक्तानुसार।												अभिस्तावना प्रेषित की जानी है।					
		अजा	103	44	147																		
		अजजा	77	33	110																		
		अपिव	136	58	194																		
		विपिव	7	2	9																		
		सा.	325	139	464																		
32	उपनिरीक्षक	कल	405	168	573	196900	35123	234005	151885	25692	177577	46439	5082	51521	1467	590	2057						

क्र.सं.	पद व विभाग का नाम	वर्ग	पदों की संख्या			कुल आवेदक			उपस्थित अभ्यर्थी			साक्षात्कार/द्वितीय चरण परीक्षा हेतु पात्र			साक्षात्कार लिए गए			अभिस्तावित		
			पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग
	पुलिस संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2010	अजा	68	28	96	39121	5644	44765	29834	3830	33664	8755	570	9325	204	77	281			
		अजजा	58	23	81	35909	5073	40982	27217	3560	30777	7128	494	7622	174	54	228			
		अपिव	51	21	72	81253	16841	98094	62517	12357	74874	21176	2785	23961	752	313	1065			
		विपिव	5	1	6	6391	772	7163	5115	597	5712	1612	98	1710	45	11	56			
		सा.	223	95	318	34226	6793	41019	27202	5348	32550	7768	1135	8903	292	135	427			
		कल	58	22	80										87	0	87	84	0	84
33	उपनिरीक्षक पुलिस (भूतपूर्व सैनिक) प्रतियोगी परीक्षा, 2010	अजा	9	3	12									1	0	1	1	0	1	
		अजजा	7	2	9										1	0	1	1	0	1
		अपिव	11	4	15										48	0	48	47	0	47
		विपिव	0	0	0										0	0	0	0	0	0
		सा.	31	13	44										37	0	37	35	0	35

